[2022] 5 एस. सी. आर 104

नीरज दत्ता

वी.

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.)

(2009 की आपराधिक अपील सं. 1669)

15 दिसंबर, 2022

[एस. अब्दुल नजीर, बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना,

वी. रामसुब्रमणियन और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988: एसएस। 7 और 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू एस। 13 (2) – शिकायतकर्ता के साक्ष्य के अभाव में (प्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष)

प्राथमिक, मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य) किसी लोक सेवक के अपराध/अपराध की अनुमानित कटौती करने की अनुमति है। 7 और 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू एस। 13 (2) प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर अधिनियम

अभियोजन पक्ष द्वारा।

संदर्भ विषय-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988

चाहे बी. जयराज बनाम ए. पी. एंड पी. राज्य, सत्यनारायण मूर्ति बनाम डी. इंस्पेक्टर। पुलिस के मामले में, ए. पी. राज्य का एम. नरसिंगा राव बनाम ए. पी. राज्य के साथ संघर्ष-संदर्भ उत्तर-बी. जयराज में कोई संघर्ष नहीं है

और पी. सत्यनारायण मूर्ति ने एम. नरसिंगा राव में निर्णय के साथ, यू/एस. एस. के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक सबूत की प्रकृति और गुणवत्ता के संबंध में। 7 या अधिनियम के 13 (1) (डी) (i) और (ii), जब शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य या "प्राथमिक साक्ष्य" शिकायतकर्ता की मृत्यु या किसी अन्य कारण से अनुपलब्ध है, अभियुक्त लोक सेवक के अपराध को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा जारी किए गए तथ्य के रूप में लोक सेवक द्वारा अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति का प्रमाण अनिवार्य है।

यू/एसएस। 7 और अधिनियम के 13 (1) (डी) (i) और (ii)-अभियोजन को पहले अवैध संतुष्टि की मांग और उसके बाद की मांग को साबित करना होगा।

तथ्य और उसी के रूप में स्वीकृति को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है-अवैध की मांग और स्वीकृति का प्रमाण।

प्रत्यक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी संतुष्टि साबित की जा सकती है, यदि ऐसा है

परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस मूलभूत तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988: एस. 20-का दायरा

उसमें प्रयुक्त अनुमान - धारा 20 में उस धारणा के संबंध में कानून की परिकल्पना की गई है जहां लोक सेवक इसके अलावा अन्य संतुष्टि स्वीकार करता है।

104 नीरज दत्ता बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.)

कानूनी पारिश्रमिक-इसमें उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मान ली जाएगी" है जो कानूनी या अनिवार्य धारणा है-उक्त प्रावधान एक कानूनी धारणा से संबंधित है जो एक आदेश की प्रकृति में है कि यह माना जाना चाहिए कि अभियुक्त ने किसी भी आधिकारिक कार्य को करने या करने से रोकने के लिए संतुष्टि को एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया है, यदि धारा के पूर्व भाग में परिकल्पित शर्त संतुष्ट है-यह नहीं कहता है कि उक्त शर्त को प्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन केवल आवश्यकता यह है कि इसे साबित किया जाना चाहिए।

कि अभियुक्त ने संतुष्टि स्वीकार कर ली है या स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एस. 3-शब्द "तथ्य"-"तथ्य प्रोबैंडम और तथ्य प्रोबन्स"-वर्गीकरण और संबंध-तथ्य में शामिल हैं

चीज़ों, घटनाओं या मानसिक स्थिति की स्थिति मुख्य तथ्य (मुद्दे में तथ्य) तथ्य प्रोबैंडम का गठन करता है जबकि साक्ष्य तथ्य (प्रासंगिक तथ्य) तथ्य प्रोबन्स का गठन करता है।

मुद्दा प्रमाणिक तथ्य हैं जो अस्तित्व को संभावित बनाते हैं या

तथ्य या किसी अन्य प्रासंगिक तथ्य का अस्तित्व न होना।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एस. 3-शब्द "साक्ष्य"-दायरा-साक्ष्य में गवाहों के वास्तविक शब्द या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। साक्ष्य शब्द केवल मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य चीजों जैसे भौतिक वस्तुओं, गवाहों के आचरण, उन तथ्यों के लिए भी है जिनके बारे में न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है।

पक्षकारों का प्रवेश, किया गया स्थानीय निरीक्षण और अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा रखे गए प्रश्नों के उत्तर

एस। 313 दंड प्रक्रिया संहिता।

साक्ष्य अधिनियम, 1872-ss. 3 , 59 , 60 , 61 - साक्ष्य का वर्गीकरण-साक्ष्य को प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है (मूल)

प्रत्यक्ष साक्ष्य) और अप्रत्यक्ष साक्ष्य (पर्याप्त साक्ष्य)

साक्ष्य किसी वस्तु या तथ्य के अस्तित्व को या तो वास्तविक उत्पादन द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही या प्रदर्शन योग्य घोषणा द्वारा स्थापित करता है जिसने खुद इसे महसूस किया है और वह किसी भी जगह से रहित है।

अनुमान या अनुमान के लिए-अप्रत्यक्ष साक्ष्य को जन्म देता है

तार्किक निष्कर्ष कि एक तथ्य-इन-इश्यू मौजूद है, या तो निर्णायक रूप से या अनुमानित रूप से प्रत्यक्ष साक्ष्य या तो मौखिक रूप से गठित हो सकता है

दस्तावेजी साक्ष्य-अप्रत्यक्ष साक्ष्य साक्ष्य का गठन कर सकते हैं। जो प्रकृति में परिस्थितिजन्य है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एस. 60-मौखिक साक्ष्य-वर्गीकरण और दायरा-मौखिक साक्ष्य या तो मूल हो सकता है या [2022] 5 एस. सी. आर. में सुनी-सुनाई बातें हो सकती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रकृति-यह मूल है यदि यह उस व्यक्ति द्वारा दिया गया है जिसने स्वयं अपनी इंद्रियों के माध्यम से कुछ देखा या सुना है-श्रवण साक्ष्य को व्युत्पन्न, प्रेषित या परोक्ष साक्ष्य के रूप में कहा जा सकता है जिसमें एक गवाह केवल वह रिपोर्ट कर रहा है जो उसने स्वयं नहीं देखा था या सुना था, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति से सीखा है-मौखिक साक्ष्य को भी प्राथमिक और माध्यमिक साक्ष्य के रूप में उप-वर्गीकृत किया गया है-पहला मूल साक्ष्य का एक मौखिक विवरण है जबकि दूसरा मूल साक्ष्य का एक रिपोर्ट या मौखिक विवरण या किसी दस्तावेज़ की एक प्रति या मूल चीज़ का एक मॉडल है-एस के आदेश के अनुसार। 60 , मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष या सकारात्मक होना चाहिए।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: शब्द "श्रवण साक्ष्य"-दायरा

"सुनी-सुनाई गवाही" शब्द को साक्ष्य अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है-सुनी-सुनाई गवाही किसी ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए अस्वीकार्य है जो

सुनी-सुनाई बातों पर अपदस्थ किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से उस बयान के रूप में साक्ष्य को बाधित नहीं करता है जिस पर कुछ कार्रवाई की गई थी या कुछ परिणाम सामने आए जैसे कि अपराध के सूचना देने वाले का साक्ष्य।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एसएस। 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 (2) , 78

दस्तावेजी साक्ष्य वर्गीकरण और दायरे के अनुसार

एस का जनादेश। 59 दस्तावेज़ की सामग्री को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है-दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत करके साबित किया जाना है।

दस्तावेजों का स्वयं या उनकी अनुपस्थिति में, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा अधिनियम की धारा 65 - धारा 61 प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा दस्तावेज़ की सामग्री के प्रमाण की अनुमति देती है-धारा 6 के अनुसार। 62 , प्राथमिक साक्ष्य का अर्थ है जब दस्तावेज़ को स्वयं अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है-दस्तावेज़ की सामग्री को साबित करने के लिए एक साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य होने के लिए, यह उस प्रकार का होना चाहिए जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है। एस. 63

एस के अधिदेश के अनुसार। 64 दस्तावेज़ को जोड़कर साबित किया जाना चाहिए

उल्लेख किए गए मामलों को छोड़कर प्राथमिक साक्ष्य एस. 65-कानून की नीति यह है कि प्राथमिक साक्ष्य सबसे अच्छा साक्ष्य है और यह विचाराधीन तथ्य की सबसे बड़ी निश्चितता प्रदान करता है और यह केवल तभी होता है जब

प्राथमिक स्रोत की अनुपस्थिति को संतोषजनक रूप से समझाया गया है कि दस्तावेजों की सामग्री को साबित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: एसएस। 4 , 114 - अनुमानों के संबंध में कानून

शब्द "अनुमान लगा सकता है, अनुमान लगाएगा, निर्णायक सबूत"-तथ्यात्मक

अनुमान या विवेकाधीन अनुमान "अनुमान लगाया जा सकता है" के तहत आता है और इस मामले में तथ्यों को या तो नीरज दत्ता बनाम को जोड़कर साबित किया जा सकता है।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.)

साक्ष्य या न्यायालय एक तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है-कानूनी अनुमान या अनिवार्य अनुमान "के तहत आता है

और एक बार जब कानून द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अदालत किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाएगी, तो अदालत इस तरह के तथ्य का अनुमान लगाने के लिए बाध्य है जब तक कि इस तरह की धारणा को विस्थापित नहीं किया जाता है

ऐसी धारणा के विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत करना-निर्णायक प्रमाण कानून की एक सख्त घोषणा है और एक बार जब किसी तथ्य को दूसरे का निर्णायक प्रमाण घोषित कर दिया जाता है, तो अदालत ऐसी धारणा को गलत स्थान पर रखने के लिए साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देगी।

एस द्वारा विचार के रूप में अनुमान। 114 एक विवेकाधीन अनुमान है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: अध्याय 7-सबूत का बोझ-वाक्यांश "सबूत का बोझ" के दो अर्थ हैं-एक, कानून और अभिवचन के मामले में सबूत का बोझ और दूसरा, मामला स्थापित करने का बोझ।

अभिवचन और पूरे मुकदमे के दौरान अपरिवर्तित रहता है, जबकि बाद वाला स्थिर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई पक्ष अपने पक्ष में अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करता है, वह बदल जाता है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: शत्रुतापूर्ण गवाह साक्ष्य की स्वीकार्यता-निपटाया गया कानूनी स्थिति-भले ही एक गवाह को "शत्रुतापूर्ण" माना जाता है और उसकी प्रतिपरीक्षा की जाती है, उसके साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उचित सावधानी और सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए और गवाही का वह हिस्सा जो विश्वसनीय है विचार किया और कार्रवाई की।

संदर्भ याचिका का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. रेस गेस्टे के सिद्धांत के अनुरूप, एक तथ्य

इसमें चीजों या घटनाओं की स्थिति के साथ-साथ मानसिक स्थिति यानी इरादा या शत्रुता शामिल है। साक्ष्य के कानून में एक तथ्य में तथ्य प्रोबैंडम अर्थात, साबित किया जाने वाला प्रमुख तथ्य और तथ्य प्रोबन्स अर्थात साक्ष्य तथ्य शामिल है, जिससे प्रमुख तथ्य तुरंत या अनुमान द्वारा अनुसरण करता है। दूसरी ओर, "मुद्दे में तथ्य" अभिव्यक्ति का अर्थ है वे मामले जो विवाद में हैं या जो जांच का विषय हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि साक्ष्य किसी मामले में बताए गए तथ्यों पर होता है और इसलिए, मुख्य तथ्य कभी-कभी मुद्दे में तथ्य होते हैं। इस मुद्दे से संबंधित तथ्य प्रमाणिक तथ्य हैं जो संभावित रूप से किसी मुद्दे में तथ्य या कुछ प्रासंगिक तथ्य के अस्तित्व या अस्तित्व को प्रस्तुत करते हैं। [पैरा 30,31] [144-सी-ई] [2022] 5 एस. सी. आर.

2. आपराधिक मामलों में, जारी किए गए तथ्यों का गठन वारंट या समन मामलों में आरोप या अधिग्रहण में किया जाता है। जारी तथ्यों का प्रमाण मौखिक और दस्तावेजी हो सकता है।

सबूत। साक्ष्य वह माध्यम है जिसके माध्यम से अदालत जांच के तहत मामले की सच्चाई या अन्यथा के बारे में आश्वस्त होती है, यानी, गवाहों के वास्तविक शब्द, या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, न कि उन तथ्यों के बारे में जिन्हें मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना है। बेशक, साक्ष्य शब्द केवल मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य चीजों के लिए भी है जैसे कि

भौतिक उद्देश्य, गवाहों का आचरण, तथ्य जिनके बारे में न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है, पक्षों की स्वीकृति, स्थानीय दंड प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) की धारा 313 के तहत मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अभियुक्त द्वारा किया गया निरीक्षण और दिए गए उत्तर। [पैरा 32] [144-ई-जी]

3. " प्रत्यक्ष "या" मूल "साक्ष्य का अर्थ है वह साक्ष्य जो किसी वस्तु या तथ्य के अस्तित्व को या तो वास्तविक रूप से स्थापित करता है।

प्रस्तुत करना या गवाही या प्रदर्शन योग्य घोषणा द्वारा

कोई ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं इसे महसूस किया है, और विश्वास किया है कि इसने मुद्दे में एक तथ्य स्थापित किया है। प्रत्यक्ष साक्ष्य बिना किसी अनुमान के किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करता है। दूसरी ओर, "अप्रत्यक्ष साक्ष्य" या "पर्याप्त साक्ष्य" इस तार्किक निष्कर्ष को जन्म देते हैं कि ऐसा तथ्य मौजूद है, या तो निर्णायक या अनुमानित रूप से। ठोस साक्ष्य का प्रभाव

विचाराधीन ऐसा होना चाहिए कि एक से अधिक समाधान को स्वीकार न किया जाए और किसी भी स्पष्टीकरण के साथ असंगत होना चाहिए कि तथ्य साबित नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष या अनुमानित साक्ष्य द्वारा

(परिस्थितिजन्य साक्ष्य), कोई यह कह सकता है कि अन्य तथ्य साबित होते हैं जिनसे किसी दिए गए तथ्य के अस्तित्व का तार्किक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। [पैरा 33] [144-जी-एच; 145-ए-बी]

4. मौखिक साक्ष्य को मूल और सुनी-सुनाई बातों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

सबूत। मूल साक्ष्य वह है जिसे एक गवाह खुद अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखा या सुना है। सुनाई देने वाले साक्ष्य को व्युत्पन्न, प्रेषित या परोक्ष साक्ष्य भी कहा जाता है जिसमें एक गवाह केवल रिपोर्ट नहीं कर रहा होता है जो उन्होंने स्वयं देखा या सुना, और जो उनकी अपनी शारीरिक इंद्रियों के तत्काल अवलोकन के तहत नहीं आया है, बल्कि उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से तथ्य के संबंध में क्या सीखा है।

नीरज दत्ता बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.)

आम तौर पर, एक सुनी-सुनाई गवाही अस्वीकार्य होगी, लेकिन जब यह है अन्य गवाहों के ठोस साक्ष्य से पुष्टि होने पर यह स्वीकार्य होगा। [पैरा 34] [145-सी-डी]

5. साक्ष्य जो मुद्दे में तथ्य को सीधे स्थापित नहीं करता है, लेकिन उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है जिनमें मुद्दे में तथ्य है

जो नहीं हुआ वह परिस्थितिजन्य साक्ष्य है (जिसे अनुमानित या अनुमानित साक्ष्य भी कहा जाता है)। परिवेशीय साक्ष्य का अर्थ है ऐसे तथ्य जिनसे किसी अन्य तथ्य का अनुमान लगाया जाता है। यद्यपि परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से इस तथ्य को साबित करने के लिए नहीं जाता है, लेकिन यह समान रूप से प्रत्यक्ष है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य को परिस्थितियों के प्रत्यक्ष साक्ष्य से भी साबित करना होता है। [पैरा 35] [145-ई-एफ] 6. साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 में कहा गया है कि दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री को छोड़कर सभी तथ्यों को साबित किया जा सकता है

मौखिक साक्ष्य द्वारा। मौखिक साक्ष्य का अर्थ है अदालत या आयुक्तों की उपस्थिति में जांचे गए जीवित व्यक्तियों की गवाही। अदालत द्वारा नियुक्त, मूक-बधिर व्यक्ति भी संकेतों द्वारा या व्याख्या के माध्यम से या लिखित रूप से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि वे साक्षर हैं। दूसरी ओर, दस्तावेजी साक्ष्यों को स्वयं दस्तावेजों को प्रस्तुत करके या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना है। इसके अलावा, मन की किसी भी स्थिति के अस्तित्व को दिखाने वाले तथ्य, जैसे कि इरादा, ज्ञान, सद्भावना, लापरवाही या बुराई को प्रत्यक्ष गवाही द्वारा साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह साबित किया जा सकता है

अनुमानित रूप से आचरण, आसपास की परिस्थितियों आदि से। [पैरा 36,37] [145-जी-एच; 146-ए-बी]

7. साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष या सकारात्मक होना चाहिए। प्रत्यक्ष साक्ष्य तब होता है जब वह मुद्दे में मुख्य तथ्य को स्थापित करने के लिए सीधे जाता है। "प्रत्यक्ष" शब्द

इसका उपयोग व्युत्पन्न या सुनी-सुनाई गवाही के साथ किया जाता है जहां एक गवाह सबूत देता है कि उसने किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी प्राप्त की थी। यदि वह व्यक्ति स्वयं ऐसी जानकारी नहीं देता है, तो ऐसा साक्ष्य सुनी-सुनाई गवाही होने के नाते अस्वीकार्य होगा। दूसरी ओर, परिस्थितिजन्य या अनुमानित साक्ष्य या अनुमानित साक्ष्य (धारा 3) के रूप में फोरेंसिक प्रक्रिया अप्रत्यक्ष साक्ष्य है। इसका अर्थ है अन्य तथ्यों का प्रमाण जिनसे मुद्दे में तथ्य के अस्तित्व का तार्किक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में, "परिस्थितिजन्य साक्ष्य" अभिव्यक्ति का उपयोग [2022] 5 एस. सी. आर. में किया गया है।

कभी-कभी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी प्रत्यक्ष हो सकते हैं। यद्यपि "सुनी-सुनाई गवाही" शब्द को साक्ष्य अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी, यह अदालतों में लगातार उपयोग में है। हालाँकि, सुनी-सुनाई गवाही किसी ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए अस्वीकार्य है जिसे सुनी-सुनाई बातों में बयान दिया जाता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से इस बात के सबूत को नहीं रोकता है कि उस पर बयान दिया गया था। जिसके बाद कुछ कार्रवाई की गई या कुछ परिणाम सामने आए जैसे कि अपराध की सूचना देने वाले का सबूत। इस स्तर पर, यह अलग किया जाना चाहिए कि मौखिक साक्ष्य के संबंध में भी, उप-श्रेणियां हैं-प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य मूल साक्ष्य का एक मौखिक विवरण है, अर्थात, एक व्यक्ति का जिसने देखा कि क्या हुआ और इसका विवरण देता है।

न्यायालय द्वारा अभिलिखित, या स्वयं मूल दस्तावेज, या न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर मूल वस्तु। द्वितीयक साक्ष्य एक रिपोर्ट या मूल साक्ष्य का मौखिक विवरण या मूल साक्ष्य की प्रति है। दस्तावेज़ या मूल चीज़ का एक मॉडल। [पैरा 39,40,41] [146 डी-एच]

8. धारा 61 दस्तावेजों की सामग्री के प्रमाण से संबंधित है जो या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा है। जब ए. दस्तावेज़ को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 से 73 में निर्धारित तरीके से साबित करना होगा। अदालत द्वारा केवल किसी दस्तावेज़ को एक प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत करना और चिह्नित करना इसका उचित प्रमाण नहीं माना जा सकता है।

सामग्री। इसके निष्पादन को स्वीकार्य साक्ष्य से साबित करना होगा। दूसरी ओर, जब कोई दस्तावेज़ विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और स्वीकार किया जाता है और अदालत द्वारा एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो दस्तावेज़ की सामग्री को या तो मूल दस्तावेज़ यानी प्राथमिक साक्ष्य या धारा 65 के अनुसार उसी की प्रतियों द्वारा माध्यमिक साक्ष्य के रूप में साबित किया जाना चाहिए। जब तक कोई मूल दस्तावेज मौजूद है और उपलब्ध है, तब तक इसकी सामग्री को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब प्राथमिक साक्ष्य खो जाता है, न्याय के हित में, द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति दी जानी चाहिए। प्राथमिक साक्ष्य सबसे अच्छा साक्ष्य है और यह विचाराधीन तथ्य की सबसे बड़ी निश्चितता प्रदान करता है। इस प्रकार, जब किसी विशेष तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य के उत्पादन द्वारा स्थापित किया जाना है, तो मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो प्रस्तुत किया जाना है वह प्राथमिक साक्ष्य है अर्थात स्वयं दस्तावेज। यह केवल तभी होता है जब प्राथमिक स्रोत की अनुपस्थिति को संतोषजनक रूप से समझाया जाता है कि द्वितीयक साक्ष्य नीरज दत्ता बनाम।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.)

अदालत। यदि प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध है, तो यह द्वितीयक साक्ष्य को बाहर कर देगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 गौण साक्ष्य से संबंधित है और यह परिभाषित करती है कि इसका क्या अर्थ है और इसमें क्या शामिल है। धारा 63 पाँच प्रकार के गौण साक्ष्य का उल्लेख करती है, अर्थात्-(i) इसके बाद निहित प्रावधानों के तहत दी गई प्रमाणित प्रतियाँ; (ii) यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियां जो स्वयं में प्रतिलिपि की सटीकता सुनिश्चित करती हैं, और ऐसी प्रतियों के साथ तुलना की जाती हैं; (iii) मूल से बनाई गई प्रतियां या मूल के साथ तुलना की जाती हैं; (iv) उन पक्षों के खिलाफ दस्तावेजों के विपरीत भाग जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया; (v) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज़ की सामग्री का मौखिक विवरण जिसने खुद इसे देखा है। [पैरा 43] [147-ई-एच; 148-ए]

10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 में कहा गया है कि कुछ मामलों को छोड़कर दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए।

ऊपर बताया गया है। एक बार जब कोई दस्तावेज़ स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस दस्तावेज़ की सामग्री को भी साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है, हालांकि वे सामग्री निर्णायक सबूत नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा, एक बार जब कुछ साक्ष्य निर्णायक हो जाते हैं तो यह किसी भी अन्य साक्ष्य को बंद कर देता है जो उस साक्ष्य की निर्णायकता को कम कर देगा। किसी भी अन्य साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए निषेध है जो उस साक्ष्य की निर्णायकता से विमुख हो सकता है और अदालत के पास तथ्य के अस्तित्व को अन्यथा रखने का कोई विकल्प नहीं है जब ऐसा साक्ष्य निर्णायक बनाया जाता है। इस प्रकार, एक बार जब किसी दस्तावेज़ को ठीक से स्वीकार कर लिया जाता है, तो दस्तावेजों की सामग्री को साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाएगा, और यदि ऐसे दस्तावेज़ के साक्ष्य में निविदा के चरण में इसके प्रमाण के तरीके के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है, तो ऐसी किसी भी आपत्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मामले के किसी भी बाद के चरण में या अपील में उठाया गया। [पैरा 44] [148 बी-डी]

11. अदालतें किसी विशेष तथ्य से एक विशेष निष्कर्ष निकालने के लिए अधिकृत हैं, जब तक कि इस तरह के निष्कर्ष की सच्चाई को अन्य तथ्यों द्वारा गलत साबित नहीं किया जाता है। अदालत, [2022] 5 एस. सी. आर. की धारा 4 के तहत कर सकती है।

साक्ष्य अधिनियम, किसी तथ्य के प्रमाण के उद्देश्यों के लिए एक अनुमान लगाता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक धारणा अपने आप में सबूत नहीं है, बल्कि केवल एक पक्ष के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाती है जिसके लाभ के लिए यह मौजूद है। अंग्रेजी कानून के अनुसार, अनुमानों की तीन श्रेणियां हैं, अर्थात्, (i) तथ्य या प्राकृतिक अनुमान की धारणाएँ; (ii) कानून की धारणाएँ (खंडन और खंडन योग्य)। अक्षम्य); और (iii) मिश्रित धारणाएँ अर्थात "मिश्रित कानून और तथ्य की धारणाएँ" या "द्वारा मान्यता प्राप्त तथ्य की धारणाएँ"

तथ्यात्मक अनुमान या विवेकाधीन अनुमान "अनुमान लगा सकते हैं" के विभाजन के तहत आते हैं जबकि कानूनी अनुमान या अनिवार्य अनुमान "अनुमान लगाएंगे" के विभाजन के तहत आते हैं। यह मान सकते हैं कि "इसे अदालत के विवेक पर छोड़ दें। मामले की परिस्थितियों के अनुसार अनुमान लगाने के लिए लेकिन "मान लेगा" अदालत के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ता है, और यह तब तक तथ्य को मान लेना बाध्य है जब तक कि इसे गलत साबित करने के लिए सबूत नहीं दिया जाता है, उदाहरण के लिए, किसी दस्तावेज़ की वास्तविकता।

भारत का राजपत्र होने का तात्पर्य। अभिव्यक्ति "होगा मान लीजिए "साक्ष्य अधिनियम की धारा 79,80,81,83,85,89 और 105 में पाया जाता है। [पैरा 46] [148-एफ-एच; 149-ए-बी]

12. अधिनियम की धारा 20 अनुमान से संबंधित है जहाँ

लोक सेवक कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य संतुष्टि स्वीकार करता है। यह उप-धारा (1) और उप-धारा (2) में "कल्पित किया जाएगा" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। उक्त प्रावधान एक कानूनी धारणा से संबंधित है जो एक आदेश की प्रकृति में है कि यह माना जाना चाहिए कि अभियुक्त ने किसी भी आधिकारिक कार्य आदि को करने या करने से रोकने के लिए संतुष्टि को एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया है, यदि धारा के पूर्व भाग में परिकल्पित शर्त पूरी हो जाती है। अधिनियम की धारा 20 के तहत कानूनी धारणा बनाने की एकमात्र शर्त यह है कि मुकदमे के दौरान, यह साबित किया जाना चाहिए कि आरोपी ने किसी भी संतुष्टि को स्वीकार किया था या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ था। अनुभाग यह नहीं कहता है कि उक्त

शर्त को प्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से संतुष्ट किया जाना चाहिए। इसकी एकमात्र आवश्यकता यह है कि यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने संतुष्टि स्वीकार की है या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है। [पैरा 48] [149-ई-जी] नीरज दत्ता बनाम।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.)

13. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत एक अनुमान

यह प्रकृति में विवेकाधीन है क्योंकि यह न्यायालय के लिए दूसरे तथ्य के प्रमाण से एक तथ्य के अस्तित्व के बारे में अनुमान लगाने या न लगाने के लिए खुला है। यह 1947 के अधिनियम की धारा 4 (1) या अधिनियम की धारा 20 के तहत एक धारणा के विपरीत है, जहां अदालत को इस तरह की धारणा बनानी होती है, यदि कोई निश्चित तथ्य साबित हो जाता है, यानी जहां किसी आरोपी को कोई अवैध संतुष्टि प्राप्त हुई हो। ऐसे मामले में यह धारणा बनाई जानी चाहिए कि व्यक्ति ने उस चीज़ को इनाम के उद्देश्य से प्राप्त किया था।

इसलिए, अदालत के पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं है, एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि आरोपी को एक राशि मिली है जो

कानूनी पारिश्रमिक के रूप में उनके कारण नहीं था। बेशक, आरोपी के लिए यह दिखाने के लिए खुला है कि हालांकि वह पैसा कानूनी पारिश्रमिक के रूप में उसके कारण नहीं था, यह कानूनी रूप से किसी अन्य तरीके से उसके कारण था या कि उसने इसे किसी लेन-देन या व्यवस्था के तहत प्राप्त किया था जो वैध है। ऐसे मामले में अभियुक्त पर बोझ उतना हल्का नहीं होगा जितना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत एक अनुमान लगाया जाता है और इसे केवल इस तथ्य के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण उचित और संभावित है। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि व्याख्या सही है। "जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता" शब्द जो इस प्रावधान में पाए जाते हैं, यह स्पष्ट करते हैं कि अनुमान का खंडन किया जाना चाहिए। "प्रमाण" द्वारा और न कि एक खाली स्पष्टीकरण द्वारा जो केवल प्रशंसनीय है। एक तथ्य को तब साबित कहा जाता है जब इसका अस्तित्व सीधे होता है

14. "अनुमान लगा सकते हैं" और "अनुमान लगाएंगे" अभिव्यक्तियों के विपरीत, "निर्णायक प्रमाण" अभिव्यक्ति का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में भी किया जाता है। जब कानून कहता है कि ए विशेष प्रकार का साक्ष्य निर्णायक होगा, उस तथ्य को या तो उस साक्ष्य से या किसी अन्य साक्ष्य से साबित किया जा सकता है जिसकी अदालत अनुमति देती है या जिसकी आवश्यकता होती है। जब निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो अदालत के पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है कि तथ्य मौजूद है। उदाहरण के लिए, [2022] 5 एस. सी. आर. के क्रम में कथन।

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष क्या हुआ, इस बारे में न्यायालय निर्णायक है। इस प्रकार, निर्णायक प्रमाण कुछ तथ्यों को कानून द्वारा एक कृत्रिम प्रोबेटिव प्रभाव देता है। उस प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कोई सबूत पेश करने की अनुमति नहीं है। जब कोई कानून कुछ तथ्यों को अंतिम और निर्णायक बनाता है, तो ऐसे तथ्यों को गलत साबित करने के लिए साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जाती है। [पैरा 52] [151-बी-डी] 15. कानून की अदालत के समक्ष दिए गए सभी साक्ष्यों को या तो प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य "

इसका अर्थ है जब मुख्य तथ्य को सीधे गवाहों, चीजों या दस्तावेजों द्वारा सत्यापित किया जाता है। अन्य सभी रूपों के लिए, "परिस्थितिजन्य साक्ष्य" शब्द जो "अप्रत्यक्ष साक्ष्य" है, को गवाहों, चीजों या दस्तावेजों द्वारा संदर्भित किया जाता है, जिन्हें साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह भी दो प्रकार का होता है, निर्णायक और अनुमानित। निर्णायक तब होता है जब प्रमुख और साक्ष्य तथ्यों के बीच संबंध-तथ्य प्रोबैंडम और तथ्य प्रोबन्स-प्रकृति के नियमों का एक आवश्यक परिणाम होता है।

अनुनय जो यह उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार, परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के विपरीत परिस्थितियों का प्रमाण है। अभियोजन होना चाहिए और सभी को साबित करना चाहिए

एक के बिना एक पूर्ण श्रृंखला का गठन करने वाली आवश्यक परिस्थितियाँ इस परिकल्पना की ओर इशारा करते हुए कि अभियुक्त को छोड़कर किसी ने भी अपराध नहीं किया था। [पैरा 53] [151-ई-जी]

16. अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति का प्रमाण

अभियोजन पक्ष द्वारा जारी एक तथ्य के रूप में एक लोक सेवक द्वारा अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) (आई) और (2) के तहत अभियुक्त लोक सेवक के अपराध को स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले

अवैध संतुष्टि की मांग और उसके बाद की स्वीकृति को तथ्य के रूप में साबित करना। इस तथ्य को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है जो मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य की प्रकृति में हो सकता है। इसके अलावा, मुद्दे में तथ्य, अर्थात्, अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति का प्रमाण भी प्रत्यक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। [पैरा 68] [158-ई-एफ] नीरज दत्ता बनाम।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.

17. बी. जयराज और पी. सत्यनारायण मूर्ति के मामले में इस अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में कोई विरोधाभास नहीं है।

एम. नरसिंगा राव मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ का फैसला

कनविक को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रमाण की प्रकृति और गुणवत्ता धारा 7 या 13 (1) (डी) (आई) और (2) के तहत अपराधों के लिए जब शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य या

शिकायतकर्ता का साक्ष्य उसके किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं है। [पैरा 69] [160-ई-एफ]

सुभाष पर्वत सोनवाने बनाम। गुजरात राज्य (2002) 5

एस. सी. सी. 86 [2002] 3 एस. सी. आर. 359; राम कृष्ण बनाम। की स्थिति

दिल्ली एयर 1956 एससी 476: [1956] एससीआर 182; सी. के.

दामोदरन नायर बनाम। भारत सरकार (1997) 9 एससीसी 477: [1997] 1 एस. सी. आर. 107; बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014) 13 एस. सी. सी. 55 (बी. जयराज): [2014] 4

एस. सी. आर. 554; पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम। डी. पुलिस निरीक्षक, एपी राज्य (2015) 10 एससीसी 152; एम. नरसिंगा राव वी. ए. पी. राज्य (2001) 1 एस. सी. सी. 691: [2000] 5 पूरक। एस. सी. आर. 584; ए. सुबैर बनाम केरल राज्य (2009) 6 एससीसी

587 : [2009] 9 एस. सी. आर. 1058; केरल राज्य बनाम। सी पी राव

(2011) 6 एससीसी 450 [2011] 6 एससीआर 864; सुरेश

बुधर्मल कलानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1998) 7 एस. सी. सी. 337 [1998] 1 पूरक। एससीआर 608; हजारी लाल बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1980) 2 एससीसी 390: [1980] 2 एससीआर

1053 ; किशन चंद मंगल बनाम। राजस्थान राज्य

(1982) 3 एससीसी 466: [1983] 1 एस. सी. आर. 569; के. शांतम्मा बनाम। कर्नाटक राज्य (2022) 4 एससीसी 574; यू. पी. राज्य बनाम राम अस्रे (1990) पूरक। एस. सी. सी. 12; मुख्तियार सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2017) 8 एससीसी 136: [2017] 8 एस. सी. आर. 109; एम. आर. पुरुषोत्तम बनाम कर्नाटक राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 247; सी. एम. शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2010) 15 एससीसी 1: [2010] 13 एस. सी. आर. 1105; महाराष्ट्र राज्य बनाम ध्यानेश्वर लक्ष्मण राव वानखेड़े (2009) 15 एससीसी

200 [2009] 11 एस. सी. आर. 513; सुकुमारन बनाम केरल राज्य (2015) 11 एस. सी. सी. 314; सुनकन्ना बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य (2016) 1 एससीसी 713: [2015] 12

एस. सी. आर. 882; मध्य प्रदेश राज्य बनाम राम सिंह (2000) 5 एससीसी 88: [2000] 1 एस. सी. आर. 579; राजस्थान राज्य बनाम बाबू मीना (2013) 4 एस. सी. सी. 206; अमरजीत सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन) 1995 सीआरएलजे 1623 (डेल); कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम।

[2022] 5 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कालीन (2009) 2 एस. सी. सी. 513: [2008] 17 एस. सी. आर. 572; कृष्ण जनार्दन भट बनाम। दत्तात्रेय जी हेगड़े (2008)

4 एससीसी 54: [2008] 1 एस. सी. आर. 605; मद्रास राज्य बनाम। ए. वैद्यनाथ अय्यर ए. आई. आर 1958 एस. सी 61: [1958] एससीआर 580;

धनवंतराई बलवंतराई देसाई बनाम। महाराष्ट्र राज्य

ए. आई. आर 1964 एस. सी 575: [1963] पूरक। एससीआर 485;

नवनीतकृष्णन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य आकाशवाणी

2018 एससी 2027: [2018] 6 एससीआर 749; शरद बर्दहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1984) 4

एस. सी. सी. 116 [1985] 1 एस. सी. आर. 88; प्रकाश बनाम। की स्थिति

राजस्थान (2013) 4 एससीसी 668: [2013] 2 एस. सी. आर. 458; कुंदन लाल रल्लाराम बनाम। द कस्टोडियन, निकासी

संपत्ति बॉम्बे ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1316; मधुखर

भास्करराव जोशी बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2000) 8 एससीसी 571: [2000] 4 पूरक। एस. सी. आर. 475; राज्य बनाम. डॉ. अनूप कुमार श्रीवास्तव (2017) 15 एससीसी 560: [2017] 9 एससीआर 341;

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। वी. वासुदेव राव (2004) 9 एस. सी. सी. 319 [2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 500; आंध्र राज्य

प्रदेश बनाम. पी. वेंकटेश्वरलू (2015) 7 एससीसी 283:

[2015] 6 एस. सी. आर. 262; सेल्वराज बनाम कर्नाटक राज्य

(2015) 10 एससीसी 230: [2015] 9 एससीआर 381; नयन कुमार शिवप्पा वाघमारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2015) 11 एस. सी. सी. 212 [2015] 2 एस. सी. आर. 171; प्रकाश चंद बनाम। राज्य

(दिल्ली प्रशासन) (1979) 3 एस. सी. सी. 90: [1979] 2 एस. सी. आर. 330; सत पॉल बनाम। दिल्ली प्रशासन (1976) 1 एससीसी 727:

[1976] 2 एस. सी. आर. 11; स्वतंत्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1997) 4 एससीसी 14: [1997] 2 एस. सी. आर. 239; ए. बी. भास्कर राव बनाम सीबीआई (2011) 10 एससीसी 259: [2011] 12 एससीआर 718; एम. पी. बनाम राज्य शंभू दयाल (2006) 8 एससीसी 693:

[2006] 8 पूरक। एस. सी. आर. 319-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2002] 3 एससीआर 359

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[1956] एससीआर 182

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[1997] 1 एससीआर 107

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[2014] 4 एससीआर 554

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[2000] 5 पूरक। एससीआर 584

संदर्भित किया गया है

पैरा 9 नीरज दत्ता बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.)

[2009] 9 एससीआर 1058

पैरा

10 बी (iv)

संदर्भित किया गया है

[2011] 6 एससीआर 864

पैरा

10 बी (iv)

संदर्भित किया गया है

पैरा

10 सी (iii)

[1998] 1 पूरक। एससीआर 608

संदर्भित किया गया है

[1980] 2 एससीआर 1053

पैरा

10 सी (वी)

2 को संदर्भित 2 को संदर्भित 2 को संदर्भित 2 को संदर्भित 2 को संदर्भित 2 को संदर्भित 2 को संदर्भित 2 को संदर्भित 3 को संदर्भित

[1983] 1 एससीआर 569

पैरा

14 (viii)

[2017] 8 एससीआर 109

पैरा

15

[2010] 13 एससीआर 1105

पैरा

15

[2009] 11 एससीआर 513

पैरा

15

[2015] 12 एससीआर 882

पैरा

15

[2000] 1 एससीआर 579

पैरा

23

[2008] 17 एससीआर 572

पैरा

47

[2008] 1 एससीआर 605

पैरा

47

[1958] एससीआर 580

संदर्भित किया गया है

पैरा

49

[1963] पूरक। एससीआर 485

संदर्भित किया गया है

पैरा

50

[2018] 6 एससीआर 749

3 को संदर्भित 2 को संदर्भित 3 को संदर्भित 2 को संदर्भित 3 को संदर्भित 2 को संदर्भित 3 को संदर्भित 3 को संदर्भित 3 को संदर्भित 3 को संदर्भित 3 को संदर्भित 3 को संदर्भित 3 को संदर्भित 2

पैरा

53

[1985] 1 एससीआर 88

पैरा

55

[2013] 2 एससीआर 458

पैरा

55

[2000] 4 पूरक। एससीआर 475

पैरा

57

[2017] 9 एससीआर 341

पैरा

58

[2003] 5 पूरक। एससीआर 500

पैरा

59 (i)

[2015] 6 एससीआर 262

पैरा

59 ((ख)

[2015] 9 एससीआर 381

पैरा

59 (iii)

[2015] 2 एससीआर 171

61

पैरा

[1979] 2 एससीआर 330

पैरा

62

[1976] 2 एससीआर 11

पैरा

66

[1997] 2 एस. सी. आर. 239

पैरा

71

[2011] 12 एससीआर 718

पैरा

71

[2006] 8 पूरक। एससीआर 319

71 [2022] 5 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

1669 2009 से।

2007 की आपराधिक अपील संख्या 4 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.04.2009 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

एसएलपी (सीआरएल) 2020 का सं. 6497, एसएलपी (सी. आर. एल.) 2022 की सं. 294, आपराधिक अपील सं. 1779 और 2010 का 2136,2019 की डायरी संख्या 27232, एसएलपी

चौधरी, ए. एस. वैरावन, आर. सुधाकरन, जी. आर. विकास, डी. सुब्रमण्य भानू, रोहन सिंह, सुश्री शालिनी मिश्रा, कमलदीप गुलाटी, एम. पी. पार्थिबन, टी. हरि हरा सुधन, जी. मणि प्रभु, सी. संतोष, सुश्री पुष्पिता बसाक, गीत आहूजा, समर्थ कश्यप, अनिरुद्ध संगनेरिया, के. वी. मुथु कुमार, नितिन कुमार, दीपक शर्मा, सी. अरविंद,

सुश्री क्रिस्टी जैन, पुनीत जैन, डॉ. अजय कुमार, कौशल यादव, डॉ. सुशील बलवाड़ा, राम किशोर सिंह यादव, नंद लाल कुमार मिश्रा, उमंग मेहता, हर्ष जैन, सुश्री यशोदा कटियार, शफीक अहमद, विक्रांत यादव, अर्जुन रघुवंशी, संतोष कुमार, सुश्री श्वेता यादव, पृथ्वी पाल, सावन कुमार शुक्ला, अनिल शर्मा, रॉय अब्राहम, सुश्री रीना रॉय, अखिल अब्राहम, यौधिंदर लाल, सुश्री पूर्वा, हिमिंदर लाल, राघेंथ बसंत, सुश्री लिज़ मैथ्यू, सुश्री रूपाली लखोटिया, अजय कृष्णा, बी. बालाजी, मल्लिकार्जुन एस. माइलर, बम्माप्पनवर के. एस., हरिब। त्यागी, अदित खुराना, शुभ्रांशु पाधी, उदय खन्ना, सुश्री मनीषा चावा, सुश्री कनिका, सुश्री शिविका मेहरा, मानवेंद्र सिंह, अभिजीत सिंह, सुश्री पूर्णिमा सिंह, सुश्री बी. एल. एन. शिवानी, अमन शर्मा, कार्तिक जसरा, रणदीप सचदेवा, सुश्री श्रेया जैन, हरीश नड्डा, शिवम जसरा, नीरज दत्ता बनाम।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.)

गुरमीत सिंह मक्कर, अजय पाल, हर्ष पाराशर, निशे राजन शोंकर, सुश्री अनु के. जॉय, आलिम अनवर, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित भारद्वाज, संजीव के. महारा, सुश्री वैदेही रस्तोगी, अभिनव श्रीवास्तव, सनी चौधरी, संदीप शर्मा, शिवांग रावत, सुश्री राधिका जालान, महफूज A.Naski, पोलांकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजय भास्कर रेड्डी, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, सुश्री नीति रिचरिया एडवस। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ना, जे.

दिनांक 27.08.2019 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

उचित संख्या की पीठ द्वारा तय किए जाने के लिए बनाए गए कानून के प्रश्न को संदर्भित किया है। इस तरह मामलों के इस समूह को संदर्भित किया गया है

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को। आसान संदर्भ के लिए, दिनांकित संदर्भ आदेश 27.08.2019 निम्नानुसार निकाला गया हैः

" आदेश

रोकथाम के संबंध में वर्तमान संदर्भ

1 .

भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988, दिनांकित आदेश से उत्पन्न होता है।

28.02.2019 , इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित किया गया, जिसमें उन्होंने मामले में इस न्यायालय द्वारा बताए गए कानून की स्थिति की वैधता के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किए

P.Satyanarayana मूर्ति बनाम के जिला निरीक्षक

पुलिस, आंध्र प्रदेश राज्य और दूसरा, (2015) 10 एस. सी. सी. 152। उस मामले में, अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की मृत्यु के कारण उसके प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13 (1) (डी) (आई) और (2) के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अनुमानित कटौती कानून में अस्वीकार्य थी।

हालाँकि, अदालत ने 28.02.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से इस पर प्रकाश डाला

2 .

कई निर्णय, जैसे किशन चंद मंगल बनाम राजस्थान राज्य, (1982) 3 एस. सी. सी. 466; हजारी लाल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1980) 2 एस. सी. सी. 390; और एम. नरसिंगा राव बनाम ए. पी. राज्य। , (2001) 1 एस. सी. सी. 691, जिसमें इस न्यायालय ने

शिकायतकर्ता के प्राथमिक साक्ष्य के अभाव के बावजूद, अभियुक्त [2022] 5 एस. सी. आर. की दोषसिद्धि को कायम रखा।

अन्य साक्ष्य पर भरोसा करके, और क़ानून के तहत एक धारणा को उठाकर।

3 .

साक्ष्य के उपचार में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए

धारा 7 के तहत अपराध साबित करने की आवश्यकता और

13 (1) (घ) धारा 13 (2) के साथ पढ़ें, भ्रष्टाचार की रोकथाम

अधिनियम, 1988 में न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न का उल्लेख किया - एक बड़ी पीठ द्वारा निर्धारण के लिए कानूनः

" यह सवाल कि क्या शिकायतकर्ता के साक्ष्य के अभाव में/प्रत्यक्ष या अवैध संतुष्टि की मांग के प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में, क्या निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 7 और धारा 13 (1) (डी) के तहत एक लोक सेवक के दोष/अपराध की कटौती

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य "।

पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकीलों को विस्तार से सुना।

4 .

5 .

हम ध्यान देते हैं कि इस न्यायालय की दो तीन न्यायाधीशों की पीठ,

बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले, (2014)

13 एस. सी. सी. 55; और मूर्ति बनाम जिला

पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश राज्य और

एक अन्य, (2015) 10 एस. सी. सी. 152, पहले वाले के साथ संघर्ष में हैं।

एम. नरसिंगा में इस न्यायालय का तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

राव बनाम। ए. पी. राज्य, (2001) 1 एस. सी. सी. 691

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक सबूत की प्रकृति और गुणवत्ता जब शिकायतकर्ता का प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

इसलिए हम इस प्रश्न का उल्लेख करना उचित समझते हैं।

6 .

उपयुक्त न्यायपीठ द्वारा निर्णय लेने के लिए बनाई गई विधि

ताकत। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह कागजात पहले रखे

उचित आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश।

2. इस प्रकार, संदर्भ का उत्तर देने के लिए जो विवादास्पद प्रश्न उत्पन्न होता है

शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में मांग का सीधा सबूत देना

शिकायतकर्ता की अनुपलब्धता या उसकी मृत्यु के कारण या

कारण, क्या अवैध संतुष्टि की मांग हो सकती है

अन्य सबूतों से। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबूत के अभाव में

नंद, रोकथाम की धारा 20 के तहत एक कानूनी धारणा

अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') उत्पन्न नहीं होगा।

इस प्रकार, नीरज दत्ता बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

किसी अपराध को स्थापित करने के लिए मांग का प्रमाण अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 7,13 (1) (डी) (आई) और (2) के तहत दोनों धाराओं के तहत अपराध की मांग का प्रमाण घर नहीं लाया जा सकता है।

इस प्रकार, मांग के प्रमाण के अभाव में कथित रूप से अवैध संतुष्टि या उसकी वसूली के माध्यम से किसी भी राशि की केवल स्वीकृति अधिनियम की धारा 7,13 (1) (डी) (आई) और (2) के तहत आरोप को घर लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए, प्रासंगिक प्रश्न यह है कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत का समर्थन नहीं करने या "शत्रुतापूर्ण" होने या शिकायतकर्ता की मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य दिए जाने के अभाव में मांग को कैसे साबित किया जा सकता है। इस संबंध में, प्रश्न का उत्तर देने से पहले साक्ष्य अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं पर चर्चा करना आवश्यक है।

संदर्भ के लिए।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

3. आगे बढ़ने से पहले, इसका उल्लेख करना उपयोगी होगा

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान। अधिनियम की धारा 7,13 (1) (डी) (आई) और (2) और 20, जो उनके संशोधनों से पहले थीं, निम्नानुसार निकाली गई हैं:

7. लोक सेवक कानूनी के अलावा अन्य संतुष्टि ले रहा है

एक आधिकारिक अधिनियम के संबंध में पारिश्रमिक। जो कोई भी, लोक सेवक होने के नाते या होने की उम्मीद करते हुए, किसी भी व्यक्ति से, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, कानूनी के अलावा कोई भी संतुष्टि स्वीकार करता है या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है।

पारिश्रमिक, किसी भी आधिकारिक कार्य को करने या करने से रोकने के उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में या अपने आधिकारिक कार्यों के प्रयोग में, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में या नापसंद करने के लिए या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के साथ किसी भी व्यक्ति को कोई सेवा या अहित प्रदान करना या करने का प्रयास करना या

स्पष्टीकरण-(क) "लोक सेवक बनने की अपेक्षा"। यदि कोई व्यक्ति जो पद पर रहने की उम्मीद नहीं रखता है, धोखा देकर संतुष्टि प्राप्त करता है दूसरों को यह विश्वास है कि वह कार्यालय में होने वाला है, और फिर वह उनकी सेवा करेगा, वह धोखाधड़ी का दोषी हो सकता है, लेकिन वह इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी नहीं है।

(ख) "संतुष्टि"। "संतुष्टि" शब्द आर्थिक संतुष्टि या धन में अनुमानित संतुष्टि तक ही सीमित नहीं है।

(ग) "कानूनी पारिश्रमिक"। "कानूनी पारिश्रमिक" शब्द पारिश्रमिक तक ही सीमित नहीं हैं जिसकी एक लोक सेवक कानूनी रूप से मांग कर सकता है, बल्कि इसमें वे सभी पारिश्रमिक शामिल हैं जो उसे सरकार या संगठन द्वारा स्वीकार करने की अनुमति है, जिसकी वह सेवा करता है।

(घ) "करने के लिए एक उद्देश्य या पुरस्कार"। एक व्यक्ति जो वह करने के लिए एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में संतुष्टि प्राप्त करता है जो उसका इरादा नहीं है या करने की स्थिति में नहीं है, या नहीं किया है, इस अभिव्यक्ति के भीतर आता है।

(ङ) जहां कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को गलती से यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि सरकार के साथ उसके प्रभाव ने उस व्यक्ति के लिए एक उपाधि प्राप्त की है और इस प्रकार उस व्यक्ति को इस सेवा के लिए पुरस्कार के रूप में लोक सेवक, धन या कोई अन्य संतुष्टि देने के लिए प्रेरित करता है,

लोक सेवक ने इस धारा के तहत अपराध किया है।

XXX

XXX

XXX

धारा 13-लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार।

" (1) एक लोक सेवक को आपराधिक अपराध करने वाला कहा जाता है। दुराचार, -

अ)

.....

ख)

.....

(ग)

((घ) यदि वह,

((i) भ्रष्ट या अवैध माध्यमों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

या ((iii) लोक सेवक के रूप में पद धारण करते समय, किसी भी व्यक्ति के लिए प्राप्त करता है।

बिना किसी सार्वजनिक हित के कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ; स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आय के ज्ञात स्रोतों" का अर्थ है किसी वैध स्रोत से प्राप्त आय और EERAJ DUTTA v.

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

ऐसी रसीद को किसी लोक सेवक पर लागू होने वाले किसी भी कानून, नियमों या आदेश के प्रावधानों के अनुसार सूचित किया गया है।

XXX

XXX

XXX

धारा 20 की धारणा जहां लोक सेवक स्वीकार करता है

कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य संतुष्टि। -

(1) जहां, धारा 7 या धारा 11 या धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत दंडनीय अपराध के किसी भी मुकदमे में यह साबित होता है कि एक आरोपी व्यक्ति ने स्वीकार किया है या प्राप्त किया है।

या अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति से कोई संतुष्टि (कानूनी पारिश्रमिक के अलावा) या कोई मूल्यवान वस्तु स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए सहमत हुआ है, यह तब तक माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए कि उसने उस संतुष्टि या उस मूल्यवान वस्तु को, जैसा भी मामला हो, एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया या प्राप्त किया या प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए सहमत हुआ।

धारा 7 में उल्लिखित या, जैसा भी मामला हो, बिना किसी विचार के या ऐसे विचार के लिए जिसे वह अपर्याप्त समझता है। (2) जहां धारा 12 के तहत या धारा 14 के खंड (बी) के तहत दंडनीय अपराध के किसी मुकदमे में यह साबित हो जाता है कि किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा कोई संतुष्टि (कानूनी पारिश्रमिक के अलावा) या कोई मूल्यवान चीज दी गई है या दी जाने की पेशकश की गई है या देने का प्रयास किया गया है, यह तब तक माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है कि उसने उस संतुष्टि या उस मूल्यवान चीज को देने का प्रस्ताव दिया या देने का प्रयास किया, जैसा कि धारा 7 में उल्लेख किया गया है, या बिना किसी विचार के या उस प्रतिफल के लिए जो वह बिना किसी विचार के जानता है।

अपर्याप्त।

(3) उप-धारा (1) और (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, न्यायालय उक्त उप-धाराओं में से किसी में भी निर्दिष्ट अनुमान लगाने से इनकार कर सकता है, यदि उसकी राय में, उपरोक्त संतुष्टि या बात इतनी तुच्छ है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष उचित रूप से नहीं निकाला जा सकता है। ” 4. अधिनियम की धारा 7 के तत्व निम्नलिखित हैं:

अभियुक्त को लोक सेवक होना चाहिए या होने की उम्मीद करनी चाहिए

(i)

उसे स्वीकार करना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए या स्वीकार करने के लिए सहमत होना चाहिए या प्रयास करना चाहिए

(ख)

किसी भी व्यक्ति से प्राप्त करना; अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए;

iii)

कानूनी पारिश्रमिक के अलावा कोई संतुष्टि;

(iv)

किसी भी कार्य को करने या करने से रोकने के लिए एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में

v)

आधिकारिक कार्य या कोई पक्ष या नापसंद दिखाना।

5. अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) में निम्नलिखित तत्व हैं जो

किसी लोक सेवक के अपराध को घर लाने से पहले साबित किया जाना,

ली, -

अभियुक्त को लोक सेवक होना चाहिए।

((i)

भ्रष्ट या अवैध माध्यमों से, अपने लिए या किसी के लिए प्राप्त करता है

((ख)

अन्य व्यक्ति कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ; या लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके, अपने लिए प्राप्त करता है।

या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ; या

लोक सेवक के रूप में पद धारण करते हुए, किसी भी व्यक्ति के लिए प्राप्त करता है

बिना किसी सार्वजनिक के कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ

ब्याज।

धारा 13 (1) (डी) के तहत अपराध करने के लिए, कोई नहीं है

iii)

आवश्यकता है कि मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए था। स्वीकार करने के लिए एक समझौता या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है

(iv)

धारा 13 (1) (डी) के अंतर्गत आता है।

किसी भी मूल्यवान वस्तु या धन की केवल स्वीकृति

vi)

इस प्रावधान के तहत लाभ एक अपराध नहीं है।

इसलिए, इस प्रावधान के तहत एक अपराध बनाने के लिए, वहाँ

vii)

वास्तविक प्राप्ति होनी चाहिए।

viii) चूंकि विधायिका ने दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है

अर्थात् "प्राप्त करता है" या "स्वीकार करता है", इनके बीच का अंतर

दो का उल्लेख किया जाना चाहिए।

6. सुभाष पर्वत सोनवाने बनाम गुजरात राज्य (2002) 5

86 (" सुभाष पर्वत सोनवाने "), यह देखा गया कि केवल

बिना किसी अन्य सबूत के धन की बचत नहीं होगी।

धारा 13 (1) (डी) के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए योग्य।

नीरज दत्ता बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (ए) और (बी), विधायिका ने विशेष रूप से "स्वीकार करता है" या "प्राप्त करता है" शब्द का उपयोग किया है। इसके विपरीत, धारा 13 की उप-धारा (1) (डी) में उपयोग की जाने वाली भाषा में विचलन है और इसने "स्वीकार करता है" शब्द को हटा दिया है और "प्राप्त करता है" शब्द पर जोर दिया है। धारा 13 (1) (डी) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में "प्राप्ति" शब्द पर जोर दिया गया है। इसलिए, अभिलेख पर सबूत होना चाहिए कि अभियुक्त

" अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ या तो भ्रष्ट या अवैध साधनों से या लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके या बिना किसी सार्वजनिक हित के किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। राम कृष्ण बनाम दिल्ली राज्य ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 476 ("राम कृष्ण") के संदर्भ में आगे यह कहा गया कि अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) और (बी) के उद्देश्य के लिएः

" यह तब पर्याप्त है जब एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके एक व्यक्ति अपने लिए कोई भी आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, चाहे वह कोई भी हो। अनुग्रह या नापसंद दिखाने के लिए उद्देश्य या पुरस्कार।

7. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 20 के तहत वैधानिक अनुमान धारा 7 या 11 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उपलब्ध है या

धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) और धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के लिए नहीं।

8. रिलायंस को सी. के. दामोदरन नायर बनाम

भारत सरकार (1997) 9 एस. सी. सी. 477 (सी. के. दामोदरन नायर)। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (सुविधा के लिए 1947 अधिनियम) के तहत एक मामला था। अधिनियम की धारा 7 के तहत एक आरोप की बात करते हुए, यह माना गया कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता थी किः

अपीलार्थी भौतिक समय में एक लोक सेवक था;

((i)

((ख)

अपीलार्थी ने इसके अलावा कोई अन्य संतुष्टि स्वीकार या प्राप्त की है

कानूनी पारिश्रमिक; और

संतुष्टि अवैध उद्देश्य के लिए थी।

(iii)

लेन-देन के आसपास की परिस्थितियों से भी इस तरह के पूर्व समझौते का प्रमाण। यदि किसी लोक सेवक का परिचित उम्मीद में और इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में, यदि आवश्यकता हो, तो उससे कुछ आधिकारिक अनुग्रह प्राप्त करने में सक्षम होगा, तो स्वेच्छा से कोई भी संतुष्टि [2022] 5 एस. सी. आर. प्रदान करता है।

और यदि लोक सेवक स्वेच्छा से ऐसी संतुष्टि लेता है या प्राप्त करता है तो यह निश्चित रूप से "स्वीकृति" के बराबर होगा। इसलिए, यह कानून के एक अमूर्त प्रस्ताव के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि पूर्व मांग के बिना, "स्वीकृति" नहीं हो सकती है। हालांकि, अब तक स्थिति अलग होगी।

1947 के अधिनियम की धारा 5 (2) के साथ पठित धारा 5 (1) (डी) के तहत अपराध के रूप में संबंधित है। उक्त धारा के तहत अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा कि अभियुक्त ने मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ "प्राप्त" किया

भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या अन्यथा एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके और वह भी 1947 के अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत वैधानिक अनुमान की सहायता के बिना क्योंकि यह केवल निम्नलिखित के संबंध में उपलब्ध है - धारा 5 (1) (ए) और (बी) के तहत अपराध और 1947 अधिनियम की धारा 5 (1) (सी), (डी) या (ई) के तहत नहीं। इस न्यायालय के अनुसार, "प्राप्त" का अर्थ है अनुरोध या प्रयास के परिणामस्वरूप (कुछ) प्राप्त करना या प्राप्त करना। प्राप्ति के मामले में, पहल उस व्यक्ति में निहित है जो प्राप्त करता है और उस संदर्भ में, उससे एक मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता की धारा 161 (संक्षेप में, आई. पी. सी.) के तहत अपराध के विपरीत 1947 अधिनियम की धारा 5 (1) (डी) के तहत अपराध के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता होगी। , जो हो सकता है,

"स्वीकृति" या "प्राप्ति" के प्रमाण द्वारा स्थापित।

तीन फैसलों में टकराव?

9. आदेश के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह पाया है कि बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014) 13 एस. सी. सी. 55 ("बी. जयराज"), पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम ए. पी. राज्य के पुलिस निरीक्षक के मामलों में इस अदालत की दो तीन न्यायाधीशों की पीठों के फैसलों में विरोधाभास है। (2015) 10 एस. सी. सी. 152 (पी. सत्यनारायण मूर्ति) के साथ एम. नरसिंगा राव बनाम में निर्णय। धारा 7 और धारा 13 (2) के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक सबूत की प्रकृति और गुणवत्ता के संबंध में ए. पी. राज्य (2001) 1 एस. सी. सी. 691 ("एम. नरसिंगा राव")

अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पढ़ें जब शिकायतकर्ता का प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध न हो। इस प्रकार, शिकायतकर्ता की मृत्यु या अनुपलब्धता के कारण प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में, क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 7 और धारा 13 (2) के तहत लोक सेवक की दोषपूर्णता/अपराध की अनुमानित कटौती करने की अनुमति है, यह साफ सवाल है जो इस संविधान पीठ द्वारा विचाराधीन है।

मुकदमों की त्रयीः

10. आगे बढ़ने से पहले, संदर्भ आदेश में निर्दिष्ट निर्णयों पर विस्तार से विचार करना उपयोगी होगा।

राज दत्ता बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

बी. जयराज

B.Jayaraj, पीडब्लू-2 में शिकायतकर्ता ने समर्थन नहीं किया

अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 (1) (डी) (आई) और (ii) के तहत अभियोजन पक्ष का मामला। शिकायतकर्ता ने शिकायत करने से इनकार कर दिया था और अपने बयान में कहा था कि Rs.250/- की राशि का भुगतान आरोपी को इस अनुरोध के साथ किया गया था कि उसे उसके लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए शुल्क के रूप में बैंक में जमा किया जा सकता है। शिकायतकर्ता समर्थन करने के लिए तैयार नहीं था

अभियोजन का मामला। इसलिए शिकायतकर्ता को "शत्रुतापूर्ण" घोषित कर दिया गया। इस अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मांग के रूप में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया

अभियुक्त द्वारा रिश्वत दिए जाने का संबंध है और अभियोजन पक्ष ने उस समय उपस्थित किसी अन्य गवाह से पूछताछ नहीं की जब शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त को कथित रूप से पैसे सौंपे गए थे, यह साबित करने के लिए कि यह अभियुक्त द्वारा की गई किसी भी मांग के अनुसार था। जब शिकायतकर्ता ने प्रारंभिक शिकायत में जो कहा था उसे अस्वीकार कर दिया था और

यह साबित करने के लिए किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में कि अभियुक्त ने कोई मांग की थी, शिकायतकर्ता का साक्ष्य और शिकायत (उदाहरण के लिए। पी-11) पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था कि उपरोक्त सामग्री अभियुक्त द्वारा कथित रूप से की गई मांग का प्रमाण प्रस्तुत करती है। उपलब्ध एकमात्र अन्य सामग्री दूषित मुद्रा की बरामदगी थी।

उसमें अभियुक्त के कब्जे से नोट। यह देखा गया कि मांग के प्रमाण के बिना अभियुक्त से मुद्रा नोटों को रखने और बरामद करने से धारा 7 के तहत अपराध नहीं होगा। इसलिए, किसी लोक सेवक द्वारा किसी भी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध साधनों का उपयोग या पद का दुरुपयोग धाराओं के तहत अपराध के रूप में स्थापित नहीं किया गया था।

13 (1) ((घ) अधिनियम के (i) और (ii) का संबंध है।

यह भी देखा गया कि अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के संबंध में भी नहीं लगाया जा सकता है। कि ऐसा अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता था जब अवैध संतुष्टि की स्वीकृति का प्रमाण हो जिसके लिए मांग का प्रमाण अनिवार्य था और जैसा कि उक्त मामले में इसका अभाव था, प्राथमिक तथ्य जिनके आधार पर कानूनी अनुमान [2022] 5 एस. सी. आर.

धारा 20 के तहत तैयार किए जा सकते थे जो पूरी तरह से अनुपस्थित थे।

नतीजतन, दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया और अपील की गई अनुमति दी गई।

ओ. पी. सत्यनारायण मूर्ति

अभियोजन। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह हतोत्साहित था जनता की मांग के अनुसार अवैध संतुष्टि का भुगतान करना

नौकर और इसलिए डिप्टी के पास शिकायत दर्ज कराई थी

पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कुरनूल

और उक्त मामले में अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

इस न्यायालय ने बी. जयराज पर भरोसा रखते हुए कहा कि

केवल मुद्रा नोटों का कब्जा और वसूली

माँग के प्रमाण के बिना अभियुक्त एक स्थापित नहीं करेगा अधिनियम की धारा 7 के साथ-साथ 13 (1) (डी) (आई) और (2) के तहत अपराध। ऐसा इसलिए है क्योंकि मांग का प्रमाण अनिवार्य है या नहीं।

एक अनिवार्य अनिवार्यता और एक अपराध के लिए एक जनादेश

अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) (आई) और (ii) के तहत। यह प्रमाण

अवैध संतुष्टि की स्वीकृति केवल तभी हो सकती है जब

माँग का प्रमाण था। अवैध माँग का वह प्रमाण

धारा 7 के तहत अपराध की गंभीरता संतुष्टि है।

और अधिनियम के 13 (1) (डी) (i) और (ii) और इसके अभाव में आरोप विफल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, केवल स्वीकृति

अवैध संतुष्टि या वसूली के माध्यम से किसी भी राशि का

मांग के प्रमाण को अस्वीकार करता है, वास्तव में ऐसा नहीं होगा

की उक्त धाराओं के तहत शुल्क को घर लाने के लिए पर्याप्त

अधिनियम। यह देखा गया कि प्रमाण के अभाव में

मांग, अधिनियम की धारा 20 के तहत एक कानूनी धारणा

उठती भी नहीं। यह आगे देखा गया कि उक्त में दर्ज सामग्री

मामला जब कानूनी सिद्धांत की कसौटी पर न्याय किया जाता है चर्चा की, इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा कि उक्त मामले में अभियोजन पक्ष

अवैध राज दुट्टा बनाम की मांग को स्पष्ट रूप से साबित करने में विफल रहा था।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

संतुष्टि और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी) (आई) और (2) के तहत अपीलार्थी का अभियोजन और दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं थी।

किसी भी आपराधिक अपराध की तरह अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत आरोप और आरोपी पर विचार किया जाना चाहिए। जब तक यह उचित प्रमाण द्वारा अन्यथा स्थापित नहीं हो जाता, तब तक निर्दोष होना

अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति जो हैं एक दोषसिद्धि को दर्ज करने के लिए आवश्यक सामग्री को साबित किया जाना आवश्यक है।

सी. पी. राव के मामले में, जो पी. सत्यनारायण मूर्ति में संदर्भित दो मामलों में से दूसरा है, इस न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि केवल वसूली अपने आप में अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित नहीं करेगी। रिश्वत के भुगतान को साबित करने के लिए किसी भी सबूत के अभाव में या यह दिखाने के लिए कि आरोपी ने स्वेच्छा से पैसे को रिश्वत के रूप में स्वीकार किया था, दोषसिद्धि

बर्दाश्त नहीं किया जा सका।

B.Jayaraj और पी. सत्यनारायण मूर्ति में उपरोक्त दोनों निर्णय तीन पीठों द्वारा दिए गए हैं।

न्यायाधीशों और संदर्भ आदेश में, यह कहा गया है कि ये एम. नरसिंह राव के साथ टकराव में हैं, जो इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ का भी फैसला है।

एम. नरसिंगा राव

एम. नरसिंगा राव में, के. टी. थॉमस, जे.

पीठ के निर्णय ने यह सवाल उठाया कि क्या कोई कानूनी अनुमान तथ्यात्मक अनुमान पर आधारित हो सकता है।

यह देखा गया कि एक तथ्यात्मक अनुमान विवेकाधीन है

और न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग पर निर्भर करता है

जबकि एक कानूनी धारणा को अनिवार्य रूप से उठाया जाना चाहिए। यह आगे देखा गया कि अधिनियम की धारा 20 में एक कानूनी अनुमान की परिकल्पना की गई है जिसका अर्थ है कि कुछ तथ्यों के प्रमाण पर, अदालत अन्य तथ्यों को "मान लेगी"। लेकिन जब प्राथमिक तथ्य को स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है या तथ्य यह है कि न्यायालय को प्रक्रिया [2022] 5 एस. सी. आर. पर निर्भर रहना पड़ता है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

उक्त प्राथमिक तथ्य तक पहुँचने के लिए अन्य तथ्यों से लिया गया निष्कर्ष। अतः प्रश्न का सार यह था कि

क्या किसी निष्कर्ष का उपयोग अधिनियम की धारा 20 में परिकल्पित अनिवार्य अनुमान के लिए एक आधार के रूप में किया जा सकता है।

इस प्रकार गवाहों को "शत्रुतापूर्ण" घोषित किया गया। के अनुसार उसमें अपीलार्थी, दागी मुद्रा नोटों को जबरन उसकी जेब में डाल दिया गया था और इसके समर्थन में, उसने

बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों से पूछताछ की गई। निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने बचाव पक्ष के गवाहों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और पाया कि पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 को अपीलार्थी ने जीत लिया था और यही कारण है कि वे जांच अधिकारी द्वारा दर्ज अपने स्वयं के संस्करण के खिलाफ हो गए और

बाद में धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी।

उक्त मामले में, इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित "अनुमान लगा सकता है" और "अनुमान लगाएगा" अभिव्यक्तियों पर विस्तृत चर्चा की। यह न्यायालय

यह देखा गया कि "सबूत" शब्द का अर्थ है ऐसा सबूत जो एक उचित व्यक्ति को एक विशेष निष्कर्ष पर आने के लिए प्रेरित करेगा। यह आगे देखा गया कि एक अनुमान है अन्य सिद्ध तथ्यों से प्राप्त किसी निश्चित तथ्य का निष्कर्ष। न्यायालय केवल एक बुद्धिमान प्रक्रिया को लागू कर रहा है

अन्य तथ्यों से निष्कर्ष निकाला जाना। लेकिन यह अंतिम भी हो सकता है अगर यह बाद में अबाधित रहता है। साक्ष्य के कानून में अनुमान एक नियम है जो स्थानांतरण के चरण का संकेत देता है। सबूत का बोझ। एक निश्चित तथ्य या तथ्यों से, न्यायालय एक निष्कर्ष निकाल सकता है और वह तब तक बना रहेगा जब तक कि इस तरह के निष्कर्ष को या तो गलत साबित या खारिज नहीं कर दिया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, एक निष्कर्ष पर पहुँचने के उद्देश्य से, न्यायालय एक तथ्यात्मक अनुमान पर भरोसा कर सकता है। जब तक कि अनुमान J DUTTA v नहीं है।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

अस्वीकृत या खारिज या खंडन किए जाने पर, न्यायालय इस धारणा को सबूत के समान मान सकता है। हालाँकि, इस न्यायालय ने यह कहते हुए सावधानी बरती कि एक और विवेकाधीन धारणा बनाने के लिए उस धारणा का उपयोग करना असुरक्षित हो सकता है जब तक कि कोई वैधानिक मजबूरी न हो। रिलायंस को सुरेश बुधर्मल कलानी बनाम स्टेट ऑफ इंडिया पर रखा गया था।

महाराष्ट्र (1998) 7 एस. सी. सी. 337 ("सुरेश बुधर्मल कलानी"), जिसमें यह देखा गया था कि एक धारणा केवल तथ्यों से ली जा सकती है-संभावित और संभावित प्रक्रिया द्वारा।

तार्किक तर्क और अन्य अनुमानों से नहीं। उक्त मामले में स्थापित तथ्यों पर इस न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी की जेब में दागी मुद्रा नोटों की खोज से पहले और बाद की परिस्थितियों ने न्यायालय को एक तथ्यात्मक अनुमान लगाने में मदद की कि उसमें अपीलार्थी ने स्वेच्छा से दागी मुद्रा प्राप्त की थी

नोट्स।

प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य क्रम में हुए किसी भी तथ्य का अस्तित्व। हजारी लाल के आरोपी ने अपनी जेब से करेंसी नोट ले लिए थे और उन्हें घर में फेंक दिया था। दीवार और उक्त नोट कुछ मिनट पहले पीडब्लू-3 से प्राप्त किए गए थे, जिनके कब्जे में दिखाया गया था।

नोटों से। इसलिए, 1947 के अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अनुमान तुरंत आकर्षित किया गया था। हालांकि यह एक

प्रत्याख्यान योग्य अनुमान, उक्त मामले में, अनुमान का खंडन करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। अभियुक्त था, इसलिए अपराध का दोषी ठहराया गया।

इस प्रकार, एम. नरसिंगा राव के मामले में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने

(vi)

अदालत ने हजारी लाल मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के तर्क को मंजूरी दे दी। एम. नरसिंगा राव के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि संतुष्टि की मांग या भुगतान या स्वीकृति थी और एक बार मूलभूत तथ्य साबित हो जाने के बाद भुगतान या अवैध संतुष्टि की स्वीकृति के लिए धारणा लागू थी। चूंकि तथ्य की उक्त धारणा का अभियुक्त द्वारा खंडन नहीं किया गया था, इसलिए मांग का तथ्य साबित हो गया था। नतीजतन, कानूनी

यह अनुमान लगाया जाना था कि उक्त संतुष्टि को करने या सहन करने के लिए "उद्देश्य या पुरस्कार" के रूप में स्वीकार किया गया था।

अधिनियम की धारा 20 के अनुसार कोई भी कार्य करना।

(vii) उक्त मामले में आगे यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया था कि उसमें अपीलार्थी ने संतुष्टि स्वीकार कर ली थी। इसलिए, न्यायालय को यह कानूनी धारणा बनाने की कानूनी मजबूरी थी कि इस तरह की संतुष्टि को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया गया था। यह आगे देखा गया कि बचाव पक्ष की ओर से जांच किए गए दो गवाह उठाए गए अनुमानों का खंडन करने में असमर्थ थे और इसलिए, इस न्यायालय ने

अपील की और आरोपी को दोषी ठहराया।

11. संदर्भ आदेश में निर्दिष्ट एक अन्य निर्णय, जो 1947 के अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाला मामला है, किशन चंद मंगल बनाम राजस्थान राज्य (1982) 3 एस. सी. सी. 466 ("किशन चंद मंगल") है। उक्त मामले में, यह देखा गया कि यह फंसाने का मामला था जिसमें शिकायतकर्ता ने रिश्वत दी थी और उक्त रिश्वत की मांग भी मौजूद थी। यह देखा गया कि अभिलेख पर साक्ष्य, उदाहरण के लिए, शिकायतकर्ता का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का दौरा, उसके नोट पेश करना और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जाल व्यवस्था करना और आरोपी के घर जाने वाले दल पर छापा मारने से संकेत मिलता है कि आरोपी द्वारा भुगतान की पूर्व मांग की गई थी और वही परिस्थितिजन्य साक्ष्य था।

12. उपरोक्त मामलों में, आम धागा जो चलता है वह यह है कि शिकायतकर्ता साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध नहीं था और इसलिए,

प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव था। बी. जयराज में शिकायतकर्ता अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और इसलिए "शत्रुतापूर्ण" घोषित किया गया; पी. सत्यनारायण मूर्ति में, शिकायतकर्ता की मृत्यु मुकदमे से पहले ही हो गई थी।

एम. नरसिंगा राव मामले में सात गवाहों से पूछताछ बनाम नीरज दत्ता।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

अभियोजन पक्ष के गवाह "शत्रुतापूर्ण" हो गए थे। इसलिए, बी. जयराज और पी. सत्यनारायण मूर्ति मामले में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया, जबकि एम. नरसिंह राव मामले में दो गवाहों को "शत्रुतापूर्ण" घोषित किए जाने के बावजूद, तथ्यों के आधार पर, यह पाया गया कि आरोपी ने स्वेच्छा से दागी मुद्रा नोट प्राप्त किए थे और इसलिए, इस अदालत ने आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के "शत्रुतापूर्ण" होने के बावजूद, यह अन्य सबूतों से स्थापित किया गया था कि अवैध संतुष्टि की मांग की गई थी। चूंकि मूलभूत तथ्य साबित हो गए थे, इसलिए भुगतान या उसकी स्वीकृति के लिए अनुमान लागू था, जिसका खंडन नहीं किया गया था। नतीजतन, अधिनियम की धारा 20 के तहत कानूनी धारणा को भी उठाया गया और इस पर कोई विवाद नहीं हुआ। उपरोक्त पृष्ठभूमि में संदर्भ बड़ी पीठ और अंततः संविधान पीठ को दिया गया था।

प्रस्तुतियाँः

13. हमने विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान वकील को सुना है

अपीलार्थियों और विद्वान ए. एस. जी. और उत्तरदाताओं के लिए अन्य वकीलों के लिए।

14. श्री S.Nagamuthu, विद्वान वरिष्ठ वकील, पाठ्यक्रम के दौरान

उनके निवेदन का प्रतिवाद इस प्रकार किया गयाः

कि विचार के लिए प्रश्न नहीं किया गया है

(1)

उचित रूप से तैयार किया गया और इसलिए, उपयुक्त प्रश्न

बाद में अवैध संतुष्टि की प्राप्ति या स्वीकृति एक लोक सेवक। लेकिन, अगर उसका सबूत उपलब्ध नहीं है, तो यह होगा

इसका अर्थ है कि उक्त गवाह का कोई प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य नहीं है

उपरोक्त दो तथ्यों को साबित करने के लिए। इससे पहले का मुद्दा

संविधान पीठ यह है कि क्या उपरोक्त दो तथ्य हो सकते हैं

प्रत्यक्ष के अभाव में किसी अन्य तरीके से साबित किया जाए

सबूत ताकि लोक सेवक का अपराध हो सके

घर लाया गया। इस संबंध में, हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था

अधिनियम की धारा 7,13 (1) (घ) (i) और (ii) और 20 के अनुसार -

अधिनियम के संशोधन से पहले खड़ा था। बहुत जोर दिया।

"स्वीकार" या "प्राप्त" या "सहमत" अभिव्यक्ति पर रखा गया था

"या" प्राप्त करने का प्रयास "को स्वीकार करना।

((ख)

अधिनियम की धारा 20 के संदर्भ में जो

उद्देश्य या [2022] 5 एस. सी. आर. के संबंध में कानूनी धारणा को बढ़ाना।

पुरस्कार, स्वीकृति या प्राप्ति के बीच के अंतर पर विस्तृत तर्क दिए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि, दोनों ही मामलों में, प्रस्ताव का एक प्रस्ताव और स्वीकृति है। यदि प्रस्ताव रिश्वत देने वाले की ओर से उसके बिना आता है लोक सेवक से कोई भी मांग होने के नाते और बाद वाला केवल प्रस्ताव को स्वीकार करता है और अवैध संतुष्टि प्राप्त करता है, यह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्वीकृति का मामला है। स्वीकृति के मामले में, जैसा कि अधिनियम की धारा 7 में बताया गया है, जनता द्वारा कोई पूर्व मांग करने की आवश्यकता नहीं है।

सेवक।

दूसरी ओर, लोक सेवक से प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में, यानी, वह एक मांग करता है और रिश्वत देने वाला प्रस्ताव को स्वीकार करता है और मांगी गई संतुष्टि का भुगतान करता है, जो बदले में लोक सेवक को प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्ति के मामले में लोक सेवक द्वारा अवैध संतुष्टि की पूर्व मांग की जाती है और ऐसे मामले में भी अवैध की मांग और प्राप्ति दोनों की मांग की जाती है।

संतुष्टि को साबित करना होगा। लोक सेवक का यह कार्य धारा 13 (1) (डी) (आई) और (2) के तहत अपराध है और इसलिए लोक सेवक द्वारा पूर्व में की गई मांग अनिवार्य है। धारा 13 (1) (घ) (i) और (ii) के अधीन अपराध। इस संबंध में,

बी. जयराज; पी. सत्यनारायण मूर्ति; किशन चंद में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया था।

मंगल; सी. के. दामोदरन नायर और किशन चंदर।

इस प्रकार, यदि लोक सेवक द्वारा रसीद के बाद कोई मांग की जाती है, तो धारा के तहत प्राप्ति का कार्य 13 (1) (घ) (i) और (ii) पूर्ण है। तब "उद्देश्य या पुरस्कार" साबित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह धारा के लिए विदेशी है।

13 (1) ((घ) (i) और (ii)। इसलिए, अधिनियम की धारा 20 किसी अपराध के लिए उठाए जाने वाले कानूनी अनुमान से संबंधित नहीं है। धारा 13 (1) (डी) (आई) और (आई) के तहत।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि प्राप्ति के मामले में, मांग के अनुसरण में संतुष्टि की प्राप्ति को भी एक तथ्य के रूप में साबित किया जाना चाहिए। यह कि संतुष्टि की प्राप्ति के प्रमाण के अभाव में, केवल मांग करना धारा 13 (1) (डी) (आई) और (ii) के तहत अपराध नहीं है। लेकिन अगर मांग को एक प्रयास के रूप में माना जाता है, तो ऐसा प्रयास

अधिनियम की धारा 7 के तहत प्राप्त करना एक अपराध है।

जे. डूटा बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

आगे धारा 13 (1) (डी) (आई) और (ii) के तहत, प्राप्ति को (i) मौखिक साक्ष्य; (ii) दस्तावेजी द्वारा साबित किया जा सकता है।

साक्ष्य; (iii) वैधानिक अनुमान; और (iv) परिस्थितिजन्य साक्ष्य। कि जिस व्यक्ति से मांग की गई थी वह मौखिक साक्ष्य दे सकता है और यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 और 60 के तहत प्रत्यक्ष साक्ष्य है। इसके अलावा, यदि मांग करने के समय कोई और मौजूद था, तो उसका मौखिक साक्ष्य भी प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा और यह मांग को साबित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यदि वह व्यक्ति जिसके पास मांग की गई थी, या तो

साक्ष्य देने के लिए मृत या अनुपलब्ध या "शत्रुतापूर्ण" हो जाता है और मांग के तथ्य का कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं है, तो, किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में, अभियुक्त बरी होने का हकदार है। हालाँकि, यदि मांग का प्रमाण किसी भी दस्तावेज़ से मिलता है जैसे कि ईमेल, पत्र या किसी अन्य संचार के माध्यम से की जा रही मांग, तो उक्त तथ्य को दस्तावेज़ साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।

किसी भी प्रत्यक्ष या मौखिक साक्ष्य की अनुपस्थिति हालांकि शिकायतकर्ता या वह व्यक्ति जिसके पास मांग की गई है

साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध नहीं है।

न्यायालय द्वारा किया जाना जो कानूनी अनुमान की प्रकृति का हो। स्वीकार किए गए या प्राप्त किए गए या स्वीकार किए जाने पर सहमत हुए या "उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में" प्राप्त किए जाने के लिए सहमत हुए किसी भी अवैध संतुष्टि के संबंध में धारणा, अधिनियम की धारा 7 एक प्रतिबंधित और सशर्त धारणा है। उक्त अनुमान केवल स्वीकृति या प्राप्ति के प्रमाण या अवैध संतुष्टि को स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए समझौते पर उठाया जा सकता है और यह किसी अपराध के अपराध का अनुमान नहीं है।

कि अधिनियम की धारा 20 के तहत उठाया जा सकने वाला कानूनी अनुमान उस धारणा के विपरीत है जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत उठाया जा सकता है। एक उदाहरण का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि, यदि दागी मुद्रा नोट जनता के कब्जे में पाए जाते हैं

जाल के मामले में, अधिनियम की धारा 114 के तहत यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे यह मिल गया होगा।

यह एक खंडन योग्य धारणा है और अभियुक्त इसके लिए अपना स्पष्टीकरण देकर इस धारणा का खंडन कर सकता है। दागदार नोटों का कब्ज़ा। उक्त अनुमान तथ्य का अनुमान है। हालांकि, मांग की ऐसी कोई धारणा नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, वास्तव में मांग को धारा 114 के तहत नहीं माना जा सकता है।

साक्ष्य अधिनियम, जब तक कि इस तरह की धारणा नहीं की जाती है, तब तक मूलभूत तथ्य साबित हो जाते हैं और ऐसे मूलभूत तथ्य मांग के प्रमाण के अप्रतिरोध्य और एकमात्र निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। इसका मतलब यह होगा कि अभियुक्त के कब्जे से केवल दागी नोटों की बरामदगी से मांग की धारणा नहीं बनेगी। इस संबंध में के. शांतम्मा बनाम कर्नाटक राज्य (2022) 4 एस. सी. सी. 574 ("के. शांतम्मा") में बी. जयराज और इस न्यायालय के हालिया फैसले का संदर्भ दिया गया था।

इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 7 स्वीकृति या प्राप्ति या स्वीकार करने के लिए एक समझौते या प्राप्त करने के प्रयास की बात करती है। इसके अलावा, "स्वीकृति" अभिव्यक्ति को "रसीद" अभिव्यक्ति से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि वे अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में अलग-अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। अधिनियम की धारा 7 रसीद की नहीं बल्कि केवल स्वीकृति की बात करती है। रसीद को स्वीकृति में बदलने के लिए, यह साबित किया जाना चाहिए कि एक मांग की जाती है

रिश्वत देने वाला। दूसरे शब्दों में, रिश्वत देने वाले को अनुग्रह की मांग करते हुए संतुष्टि की पेशकश करनी चाहिए थी।

लोक सेवक।

इसलिए, किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की केवल प्राप्ति स्वीकार करने के बराबर नहीं होगी जब तक कि रिश्वत देने वाला लोक सेवक से अनुग्रह की मांग करने का प्रस्ताव नहीं देता। इस तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से साबित किया जाना चाहिए

सबूत। हालाँकि, यदि रिश्वत देने वाला या शिकायतकर्ता मर जाता है या "शत्रुतापूर्ण" हो जाता है और इस तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता है

प्रत्यक्ष साक्ष्य, तब इसे किसी अन्य गवाह के साक्ष्य से साबित किया जा सकता है जिसे उक्त तथ्य का प्रत्यक्ष ज्ञान है या यहां तक कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी। यदि स्वीकृति का तथ्य साबित हो जाता है, तो धारा 20 लागू होगी और

यह धारणा उठानी होगी कि स्वीकृति किसी कार्य का पुरस्कार था। इसके अलावा, स्वीकृति का कोई अनुमान नहीं जे डूटा बनाम।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

आधारभूत तथ्यों के साबित होने के अभाव में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत उठाया जा सकता है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागमुथु द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि एक बार स्वीकृति या प्राप्ति या स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास करने का समझौता साबित हो जाने के बाद, धारा 20 बनाम "उद्देश्य या पुरस्कार" के तहत धारणा को अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में उठाया जा सकता है। लेकिन, स्वीकृति या

मूलभूत तथ्यों का अभाव। धारा 20 एक कानूनी धारणा क्यों उठाती है, इसका कारण अभियुक्त के पुरुष अधिकार को साबित करना है, अर्थात्, लोक सेवक को पता था कि उसे "उद्देश्य या पुरस्कार" के रूप में अवैध संतुष्टि मिली थी। चूंकि, इस तथ्य को प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित करना मुश्किल है, इसलिए संसद ने अपने विवेक में अधिनियम की धारा 20 को शामिल किया है। न्यायालय को अवैध संतुष्टि के रूप में मान लेने का आदेश

केवल एक "उद्देश्य या पुरस्कार"। बेशक, इस तरह की कानूनी धारणा का भी खंडन किया जा सकता है।

संविधान के समक्ष उठाए गए वास्तविक प्रश्न पर आते हैं

पीठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागमुथु द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि प्राप्ति के कार्य में दो पहलू हैं, अर्थात् लोक सेवक द्वारा पूर्व मांग और अवैध संतुष्टि की प्राप्ति और इन दोनों तथ्यों को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। माँग के तथ्य को मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकता है। हालाँकि, प्राप्ति या प्राप्त करने के प्रयास को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता के साक्ष्य के अभाव में, धारा 20 के तहत अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि इस तरह की प्राप्ति या प्रयास किसी अन्य गवाह द्वारा देखा गया था, तो वह गवाह रिश्वत देने वाले के सबूत के रूप में उपलब्ध होने के अभाव में भी उक्त तथ्य को साबित कर सकता है।

दूसरी ओर, संतुष्टि स्वीकार करने के लिए स्वीकृति या समझौते के मामले में, प्रस्ताव दिया जाना चाहिए था

वास्तविक शिकायतकर्ता और अभियुक्त द्वारा-लोक सेवक को प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। इस मामले में लोक सेवक द्वारा कोई पूर्व मांग नहीं की जाती है। इसलिए, भले ही अन्य सबूतों के माध्यम से सबूत हो कि लोक सेवक [2022] 5 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

वास्तविक शिकायतकर्ता से कुछ संपत्ति प्राप्त की, जो अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में स्वतः स्वीकृति साबित करने के लिए नहीं जाएगी। दूसरे शब्दों में, एक लोक सेवक द्वारा केवल संपत्ति की प्राप्ति दोनों में से एक नहीं है।

स्वीकृति या प्राप्ति। अधिनियम की धारा 7 के संदर्भ में रसीद को स्वीकृति में बदलने के लिए, यह होना चाहिए

साबित किया कि रसीद से पहले एक प्रस्ताव; और प्राप्ति के मामले में, रसीद से पहले लोक सेवक द्वारा एक मांग की जानी चाहिए। एम. नरसिंगा राव के संदर्भ में, यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 (1) (डी) के बीच के अंतर और स्वीकृति और प्राप्ति के बीच के अंतर के संबंध में विचार नहीं किया है।

अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के तहत आने वाले मामले में धारा 20 के तहत अनुमान की गैर-प्रयोज्यता भी।

अवैध संतुष्टि की प्राप्ति परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा इस सिद्धांत के अधीन साबित की जा सकती है कि सिद्ध परिस्थितियों का परिवर्तन निर्दोष रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करना चाहिए और कोई अन्य परिकल्पना नहीं होनी चाहिए जो लागू हो सकती है। यह तर्क दिया गया था कि रिश्वत देने वाले की अनुपस्थिति में, मांग के प्रमाण को परिस्थितियों से माना जा सकता है। पी. सत्यनारायण मूर्ति के संदर्भ में, विद्वान वरिष्ठ वकील उन्होंने तर्क दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अनुसार केवल आचरण के तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है। कि उक्त मामले में, शिकायतकर्ता "शत्रुतापूर्ण" हो गया और मांग को साबित करने के लिए कोई अन्य प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, लेकिन यह कि दागी मुद्रा नोट अभियुक्तों से बरामद किए गए थे।

कि अवैध माँग के प्रमाण के अभाव में

संतुष्टि, लोक सेवकों द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग बिल्कुल भी स्थापित नहीं किया गया था।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह प्रस्तुत करने के लिए किशन चंद मंगल पर भरोसा रखा कि वूलमिंगटन सिद्धांत के अनुसार, नीरज दत्ता बनाम।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

उचित संदेह से परे सबूत होना चाहिए और उक्त सिद्धांत विचाराधीन अधिनियम के तहत लागू होगा।
कि अपराध का कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, उचित संदेह से परे और खंडन साक्ष्य के अभाव में साबित किए जा रहे मूलभूत तथ्यों के आधार पर केवल अनुमान लगाए जा सकते हैं। उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, श्री नागमुथु ने प्रस्तुत किया कि विचार के लिए उठाए गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाना चाहिए।

15. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एम. करपागा विनयगम ने कहा कि लोक सेवक की मांग का सबूत अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है

अभियुक्त जनता के अपराध को स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त

सेवक। दागी नोटों की केवल स्वीकृति या बरामदगी अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष को पहले यह साबित करना होगा कि अवैध संतुष्टि की मांग अभियुक्त द्वारा की गई थी। इसके बाद, दागी नोटों की स्वीकृति और बरामदगी अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करेगी। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने यू. पी. बनाम राज्य पर निर्भरता रखी। राम अस्रे 1990 पूरक एस. सी. सी. 12 ("राम अस्रे"); मुख्तियार सिंह बनाम पंजाब राज्य; (2017) 8 एस. सी. सी. 136 ("मुख्तियार सिंह"); एम. आर. पुरुषोत्तम बनाम कर्नाटक राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 247 (एम. आर. पुरुषोत्तम "); सी. एम. शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2010) 15 एस. सी. सी. 1. शर्मा "); महाराष्ट्र राज्य बनाम ध्यानेश्वर लक्ष्मण राव वानखेड़े (2009) 15 एससीसी 200

(" ज्ञानेश्वर लक्ष्मण राव); सुकुमारन बनाम केरल राज्य (2015) 11 एस. सी. सी. 314 ("सुकुमारन") और सुनकन्ना बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2016) 1 एस. सी. सी. 713 ("सुनकन्ना")।

16. विद्वान वकील श्री राघेंथ बसंत ने तर्क दिया कि पी. सत्यनारायण मूर्ति में, यह कानून के सिद्धांत के रूप में नहीं रखा गया है कि हर मामले में जहां शिकायतकर्ता मर चुका है, मांग को बिल्कुल भी साबित नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य को एक निष्कर्ष पर आने के लिए माना जा सकता है, जहां उचित संदेह से परे सबूत है।

17. यह तर्क दिया गया था कि इसमें एक गलत धारणा थी

पी. सत्यनारायण मूर्ति, जिसमें यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 7,13 (1) (डी) (आई) और (2) के तहत किसी मामले को साबित करने के लिए केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य अनिवार्य है। डिवीजन बेंच के साथ-साथ तीन न्यायाधीशों की बेंच इसलिए, मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया गया। लेकिन यह स्थिति नहीं है। वास्तव में, बी. जयराज में, शिकायतकर्ता [2022] 5 एस. सी. आर. में "शत्रुतापूर्ण" हो गया।

विचारण के समय और इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य गवाहों के साक्ष्य की जांच की और कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं था कि अभियुक्त द्वारा इससे आगे कोई मांग की गई थी।

उचित संदेह। उक्त मामले में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 20 में अनुमान केवल स्वीकृति के प्रमाण पर ही लगाया जा सकता है -

अवैध संतुष्टि।

18. श्री बसंत के अनुसार, एम. नरसिंह राव में,

शिकायतकर्ता "शत्रुतापूर्ण" हो गया। लेकिन, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में भी, बाकी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए पर्याप्त थीं। प्रस्तुतिकरण के समर्थन में रिलायंस को निम्नलिखित अवलोकन पर रखा गया थाः

" लेकिन अन्य परिस्थितियाँ जो इस मामले में साबित हुई हैं और जो दागी मुद्रा नोटों की खोज से पहले और बाद में आई हैं, वे अदालत को एक तथ्यात्मक अनुमान लगाने में मदद करने के लिए प्रासंगिक और उपयोगी हैं कि अपीलार्थी ने स्वेच्छा से प्राप्त किया था मुद्रा नोट "।

19. एम. नरसिंगा राव के मामले में, इस अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, जबकि बी. जयराज के मामले में

अभियोजन पक्ष ऐसा साबित करने में असफल रहा। इसलिए, एक ओर एम. नरसिंगा राव और दूसरी ओर बी. जयराज और पी. सत्यनारायण मूर्ति के फैसले के बीच कोई टकराव नहीं है।

स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक आवश्यक घटक या अनिवार्य है। धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत दोषसिद्धि घर लाने के लिए नहीं। माँग या तो प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। कि धारा 20 के तहत धारणा केवल धारा 7,11 और धारा 13 (1) (ए) और (बी) के तहत अपराधों के संबंध में लागू होती है।

नीरज दत्ता बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

"स्वीकृत" शब्द के संबंध में, मांग को साबित किया जाना चाहिए। वह धारा 20 1947 के अधिनियम की धारा 4 के समान है और अधिनियम के लागू होने से पहले, भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ अपराध थे आई. पी. सी. की धारा 161 और 165 ए के तहत भी शामिल, 1947 अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराधों के लिए वैधानिक अनुमान निर्धारित किए गए हैं।

आईपीसी की धारा 161 और 165। अधिनियम की धारा 31 द्वारा, धारा 161 से 165 (ए) को निरस्त कर दिया गया था और अब अधिनियम की धारा 7 और 11 द्वारा कवर किया गया है। यह अधिनियम एक विशेष क़ानून और अपने आप में एक पूर्ण संहिता है।

22. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे आग्रह किया कि भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत, हमेशा निर्दोषता की धारणा होती है जब तक कि अपराध साबित नहीं हो जाता है और अपराध की कोई धारणा नहीं होती है। इसलिए, किसी मांग और उसकी स्वीकृति के लिए उचित संदेह से परे सबूत होना चाहिए ताकि आरोपी के अपराध को घर लाया जा सके। इस संबंध में एम. नरसिंगा राव के पैरा 18 पर निर्भरता रखी गई थी।

(" राम सिंह ") इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कि अधिनियम लोक सेवकों में व्याप्त रिश्वत और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रावधान करना। यह अधिनियम एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य लोक सेवकों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है और इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसका उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करते समय और इसके तहत मामलों का निर्णय लेते समय अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को विफल करने के लिए प्रक्रिया संबंधी देरी और कानून की तकनीकीताओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसमें शिकायतकर्ता की मृत्यु या "शत्रुतापूर्ण" होने या साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध नहीं होने के बावजूद, रिकॉर्ड पर अन्य सबूतों के आधार पर, दोषसिद्धि का आदेश दिया गया है। उनके द्वारा उल्लिखित कई निर्णयों का उल्लेख ऊपर किया गया है। उसने प्रस्तुत किया कि भले ही शिकायतकर्ता उसके द्वारा निर्दिष्ट साक्ष्य के कुछ पहलुओं के संबंध में "शत्रुतापूर्ण" हो जाए, उसके पूरे साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है।

24. विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि B.Jayaraj और पी. सत्यनारायण मूर्ति में इस न्यायालय के निर्णय सही ढंग से तय किए गए हैं।

और उठाए गए प्रश्नों का उत्तर तदनुसार दिया जा सकता है।

25. विद्वान ए. एस. जी. श्री जे. के. सूद ने प्रस्तुत किया कि संविधान पीठ के समक्ष मुद्दा एक ऐसे मामले में जहां शिकायतकर्ता का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 7,13 (1) (डी) के तहत एक लोक सेवक के अपराध के प्रमाण से संबंधित है। उन्होंने वह सबूत प्रस्तुत किया

इसका अर्थ कठोर और गणितीय अर्थ में प्रमाण नहीं है।

प्रदर्शन, क्योंकि यह असंभव है; इसका मतलब ऐसा सबूत होना चाहिए जो एक उचित व्यक्ति को एक विशेष निष्कर्ष पर आने के लिए प्रेरित करे। निष्कर्ष पर पहुँचने में, न्यायालय प्रस्तुत या सिद्ध तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है और ऐसे निष्कर्ष कानून में अनुमानों के समान हैं। कि किसी विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण, सार्वजनिक या निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, विवेक का प्रयोग करके कानून की अदालत द्वारा तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है। इस विवेकाधिकार की परिकल्पना साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में की गई है। इस प्रकार कुछ तथ्यों के प्रमाण पर एक अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा, एक अनुमान अन्य तथ्यों से लिया जाने वाला अंतिम निष्कर्ष नहीं है। कुछ तथ्यों की धारणा तब तक बनी रहेगी जब तक कि इस तरह के निष्कर्ष या तो गलत साबित नहीं हो जाते या खारिज नहीं हो जाते। जब तक कि अनुमान नहीं है

और तार्किक तर्क। तथ्यों पर अनुमानों के विपरीत, कानूनी अनुमान के रूप में जाना जाता है जो अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत एक अनिवार्य अनुमान है। कि अधिनियम की धारा 20 के तहत, यह एक धारणा हो सकती है कि आरोपी ने ऐसा करने या करने से रोकने के लिए किसी भी संतुष्टि को एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ। कोई भी आधिकारिक कार्य करें। इसलिए, धारा 20 के तहत परिकल्पित शर्तों को अभियुक्त के खिलाफ एक धारणा उठाने से पहले पूरा करना होगा, अर्थात् कि अभियुक्त ने किसी भी अवैध को स्वीकार किया है या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है।

संतुष्टि। यह प्रमाण प्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से होने की आवश्यकता नहीं है जो किसी तथ्य को साबित करने के लिए केवल एक आधार है।

26. विद्वान ए. एस. जी. ने आगे कहा कि "प्राप्त" शब्द का अर्थ है "प्राप्त" करने के अनुरोध के परिणामस्वरूप कुछ सुरक्षित करना या प्राप्त करना और " "स्वीकार", अर्थात, सहमति से लेने या प्राप्त करने का अर्थ है। सहमति न केवल प्रमुख साक्ष्य द्वारा स्थापित की जा सकती है, बल्कि

ऐसे NEERAJ DUTTA v के प्रमाण के बिना लेन-देन के आसपास की परिस्थितियाँ।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

लाने के लिए शिकायतकर्ता के प्रत्यक्ष साक्ष्य की उपलब्धता नहीं होगी अभियुक्त का अपराध-लोक सेवक। शिकायतकर्ता की मृत्यु या अनुपलब्धता अभियोजन पक्ष के मामले को दूषित नहीं करेगी क्योंकि

शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में भी परिस्थितियों द्वारा मांग की आपत्तिजनक परिस्थिति को साबित किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य की गुणवत्ता मांग के एकमात्र प्रत्यक्ष साक्ष्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। जाल के मामले में, अदालत को अपराधों के तथ्य के घटकों पर विचार करना होता है, अर्थात् मांग की स्वीकृति और पूरी तरह से दागी धन की वसूली। इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला शिकायतकर्ता की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता है, क्योंकि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में भी, एक स्वतंत्र गवाह द्वारा दागी धन की मांग और वसूली के तथ्य को साबित करना संभव है।

जिसका साक्ष्य दोषसिद्धि का आदेश पारित करने का आधार हो सकता है।

विचार के लिए प्रश्नः

28. उपरोक्त मामलों पर विचार करने पर, वृहद पीठ द्वारा निर्धारण के लिए तैयार किया गया प्रश्न निम्नानुसार हैः

" 1) क्या शिकायतकर्ता के साक्ष्य के अभाव में/प्रत्यक्ष या अवैध संतुष्टि की मांग के प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में, क्या ऐसा नहीं है?

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 7 और धारा 13 (1) (डी) के तहत लोक सेवक के दोष/अपराध की अनुमानित कटौती करने की अनुमति

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य सबूत?

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, साक्ष्य के कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का पुनर्कथन करना उपयोगी होगा।

मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का प्रतिपादन; अनुमान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य। इसके बाद उठाए गए प्रश्न की पृष्ठभूमि में बार में उद्धृत तीन मामलों और अन्य मामलों का विश्लेषण करना और उक्त चर्चा से निष्कर्ष निकालना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साक्ष्य कानून के प्रासंगिक प्रावधान-एक चर्चाः

29. चूँकि इस मामले का मुख्य जोर मांग के प्रमाण के लिए साक्ष्य की गुणवत्ता और अवैध संतुष्टि की स्वीकृति पर है

लोक सेवक को अधिनियम की धारा 7 और/या धारा 13 (1) (डी) के तहत अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है, विचाराधीन प्रश्न से संबंधित साक्ष्य के कानून के मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करना उचित होगा।

इस संदर्भ में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3,4,59,60,61,62,63,64,65 और 154 का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

30. रेस गेस्टे के सिद्धांत के अनुरूप, एक तथ्य में चीजों या घटनाओं की स्थिति के साथ-साथ मानसिक स्थिति यानी इरादे या इरादे शामिल हैं। एनिमस। साक्ष्य के कानून में एक तथ्य में फैक्टम प्रोबैंडम अर्थात,

साबित किया जाने वाला प्रमुख तथ्य और तथ्य प्रमाण, अर्थात वह साक्ष्य तथ्य जिससे प्रमुख तथ्य तुरंत या अनुमान द्वारा अनुसरण करता है। दूसरी ओर, "मुद्दे में तथ्य" अभिव्यक्ति का अर्थ है वे मामले जो विवाद में हैं या जो जांच का विषय हैं। (साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत)।

31. यह अच्छी तरह से तय है कि साक्ष्य किसी मामले में बताए गए तथ्यों पर आधारित होता है।

और इसलिए, प्रमुख तथ्य कभी-कभी मुद्दे में तथ्य होते हैं। इस मुद्दे से संबंधित तथ्य प्रमाणिक तथ्य हैं जो किसी तथ्य या किसी प्रासंगिक तथ्य के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व को संभव बनाते हैं।

32. आपराधिक मामलों में, जारी किए गए तथ्यों का गठन वारंट या समन मामलों में आरोप या अधिग्रहण में किया जाता है। जारी तथ्यों का प्रमाण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य हो सकता है। साक्ष्य वह माध्यम है जिसके माध्यम से अदालत जांच के तहत मामले की सच्चाई या अन्यथा के बारे में आश्वस्त होती है, यानी, गवाहों के वास्तविक शब्द, या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, न कि उन तथ्यों के बारे में जिन्हें मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना है। बेशक, साक्ष्य शब्द केवल मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य चीजों के लिए भी है जैसे कि

भौतिक उद्देश्य, गवाहों का आचरण, तथ्य जिनके बारे में न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है, पक्षों का प्रवेश, स्थानीय निरीक्षण और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) की धारा 313 के तहत मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा रखे गए प्रश्नों के लिए अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तर।

33. इसके अलावा, साक्ष्य के कानून पर सरकार, 20 वें संस्करण, खंड 1 के अनुसार, "प्रत्यक्ष" या "मूल" साक्ष्य का अर्थ है कि

किसी वस्तु या तथ्य के अस्तित्व को या तो वास्तविक उत्पादन द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही या प्रदर्शन योग्य घोषणा द्वारा स्थापित करता है जिसके पास स्वयं है। इसे महसूस किया, और विश्वास किया कि यह मुद्दे में एक तथ्य स्थापित करता है।

प्रत्यक्ष साक्ष्य नीरज दत्ता बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

बिना किसी निष्कर्ष के मुद्दे में एक तथ्य के अस्तित्व को साबित करता है अनुमान। दूसरी ओर, "अप्रत्यक्ष साक्ष्य" या "पर्याप्त साक्ष्य" इस तार्किक निष्कर्ष को जन्म देता है कि ऐसा तथ्य या तो निर्णायक रूप से या अनुमानित रूप से मौजूद है। के तहत महत्वपूर्ण साक्ष्य का प्रभाव

विचार इस तरह का होना चाहिए कि एक से अधिक समाधान को स्वीकार न किया जाए और किसी भी स्पष्टीकरण के साथ असंगत होना चाहिए कि तथ्य साबित नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष या अनुमानित साक्ष्य (परिस्थितिजन्य साक्ष्य) द्वारा, कोई यह कह सकता है कि अन्य तथ्य साबित होते हैं जिनसे किसी दिए गए तथ्य के अस्तित्व का तार्किक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

34. पुनः, मौखिक साक्ष्य को मूल और सुनी-सुनाई गवाही के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मूल साक्ष्य वह है जिसे एक गवाह खुद को रिपोर्ट करता है

अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखा या सुना है। श्रवण साक्ष्य को व्युत्पन्न, प्रेषित या परोक्ष साक्ष्य भी कहा जाता है जिसमें एक गवाह केवल वह नहीं बताता है जो उसने खुद देखा या सुना है, न कि वह जो उसकी अपनी शारीरिक इंद्रियों के तत्काल अवलोकन के तहत आया है, बल्कि वह है जो उसने किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से तथ्य के संबंध में सीखा है। आम तौर पर, एक सुनी-सुनाई गवाह होगा

अस्वीकार्य, लेकिन जब अन्य गवाहों के ठोस साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, तो यह मुख्तियार सिंह द्वारा स्वीकार्य होगा।

35. साक्ष्य जो मुद्दे में तथ्य को सीधे स्थापित नहीं करता है, लेकिन उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है जिनमें मुद्दे में तथ्य नहीं हुआ था, वह परिस्थितिजन्य साक्ष्य है (जिसे अनुमानित या अनुमानित भी कहा जाता है)।

सबूत)। परिवेशीय साक्ष्य का अर्थ है ऐसे तथ्य जिनसे किसी अन्य तथ्य का अनुमान लगाया जाता है। यद्यपि परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से इस तथ्य को साबित करने के लिए नहीं जाता है, लेकिन यह समान रूप से प्रत्यक्ष है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य को परिस्थितियों के प्रत्यक्ष साक्ष्य से भी साबित करना होता है।

इसके अलावा, साक्ष्य देना गवाहों की परीक्षा द्वारा साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार होना चाहिए, अर्थात,

मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा।

36. साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 में कहा गया है कि साक्ष्य अधिनियम को छोड़कर सभी तथ्य

दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की सामग्री मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। मौखिक साक्ष्य का अर्थ है अदालत या अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्तों की उपस्थिति में जांचे गए जीवित व्यक्तियों की गवाही, बधिर और गूंगे व्यक्ति भी संकेतों द्वारा या व्याख्या के माध्यम से या लिखित रूप से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि वे साक्षर हैं। 37. दूसरी ओर, दस्तावेजी साक्ष्यों को दस्तावेजों को स्वयं प्रस्तुत करके या उनकी अनुपस्थिति में, [2022] 5 एस. सी. आर. द्वारा साबित किया जाना है।

अधिनियम की धारा 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य। इसके अलावा, मन की किसी भी स्थिति के अस्तित्व को दर्शाने वाले तथ्य, जैसे कि इरादा, ज्ञान, अच्छा विश्वास, लापरवाही या बीमारी को प्रत्यक्ष गवाही से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इसे आचरण, आसपास की परिस्थितियों आदि से अनुमानित रूप से साबित किया जा सकता है। (साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 और 14 देखें)।

38. जहाँ तक मौखिक साक्ष्य का संबंध है, राजस्थान राज्य बनाम बाबू मीणा (2013) 4 एस. सी. सी. 206 ("बाबू मीणा") के मामले में इस न्यायालय ने इसे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया हैः -(i) पूरी तरह से विश्वसनीय; (ii) पूरी तरह से अविश्वसनीय, और (iii) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय। जबकि एक अभियुक्त को पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह की एकमात्र गवाही पर दोषी ठहराया जा सकता है, एक गवाह की पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाही के अप्रमाणित साक्ष्य के परिणामस्वरूप बरी होना चाहिए।

39. साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष या सकारात्मक होना चाहिए। प्रत्यक्ष साक्ष्य तब होता है जब वह मुद्दे में मुख्य तथ्य को स्थापित करने के लिए सीधे जाता है। "प्रत्यक्ष" शब्द का उपयोग व्युत्पन्न या सुनी-सुनाई गवाही के साथ किया जाता है जहां एक गवाह सबूत देता है कि

उसे किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी मिली। अगर वह व्यक्ति करता है

सुनी-सुनाई बातों पर अपदस्थ किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से उस बयान के रूप में साक्ष्य को बाधित नहीं करता है जिस पर कुछ कार्रवाई की गई थी या कुछ परिणामों का पालन किया गया था जैसे कि अपराध के सूचना देने वाले का साक्ष्य। 41. इस स्तर पर, यह अलग किया जाना चाहिए कि मौखिक साक्ष्य के संबंध में भी, उप-श्रेणियां हैं-प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य मूल साक्ष्य का एक मौखिक विवरण है, अर्थात, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने देखा कि क्या हुआ और अदालत द्वारा दर्ज किया गया, या मूल दस्तावेज, या अदालत में पेश किए जाने पर मूल चीज़ का विवरण देता है। द्वितीयक साक्ष्य मूल साक्ष्य की एक रिपोर्ट या मौखिक विवरण या किसी दस्तावेज़ की एक प्रति या मूल चीज़ का एक मॉडल है।

नीरज दत्ता बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

42. धारा 61 दस्तावेजों की सामग्री के प्रमाण से संबंधित है जो या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा है। जब कोई दस्तावेज़ है

प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 से 73 में निर्धारित तरीके से साबित करना होगा। अदालत द्वारा केवल किसी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करना और उसे एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करना उसकी सामग्री का उचित प्रमाण नहीं माना जा सकता है। इसके निष्पादन को स्वीकार्य साक्ष्य से साबित करना होगा। दूसरी ओर, जब कोई दस्तावेज़ विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और स्वीकार किया जाता है और अदालत द्वारा एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो दस्तावेज़ की सामग्री को या तो मूल दस्तावेज़ यानी प्राथमिक साक्ष्य या धारा 65 के अनुसार उसी की प्रतियों द्वारा माध्यमिक साक्ष्य के रूप में साबित किया जाना चाहिए। जब तक कोई मूल दस्तावेज मौजूद है और उपलब्ध है, तब तक इसकी सामग्री को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब प्राथमिक साक्ष्य खो जाता है, न्याय के हित में, द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति दी जानी चाहिए। प्राथमिक साक्ष्य सबसे अच्छा साक्ष्य है और यह विचाराधीन तथ्य की सबसे बड़ी निश्चितता प्रदान करता है। इस प्रकार, जब किसी विशेष तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य के उत्पादन द्वारा स्थापित किया जाना है, तो मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व करने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या? प्रस्तुत किया जाना प्राथमिक साक्ष्य है अर्थात स्वयं दस्तावेज़। यह तभी होता है जब प्राथमिक स्रोत की अनुपस्थिति को संतोषजनक रूप से समझाया गया हो।

कि दस्तावेजों की सामग्री को साबित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति है। इसलिए, मूल साक्ष्य को प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण दिए बिना द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

43. साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य को न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के रूप में परिभाषित करती है। यदि प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध है, तो यह द्वितीयक साक्ष्य को बाहर कर देगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 गौण साक्ष्य से संबंधित है और यह परिभाषित करती है कि इसका क्या अर्थ है और इसमें क्या शामिल है। धारा 63 पाँच प्रकार के गौण साक्ष्य का उल्लेख करती है, अर्थात् -

इसके बाद के प्रावधानों के तहत दी गई प्रमाणित प्रतियां

(1)

निहित;

((ख)

यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियाँ

जो स्वयं प्रतिलिपि की सटीकता सुनिश्चित करते हैं, और

ऐसी प्रतियों की तुलना में प्रतियाँ;

(iii)

मूल से बनाई गई या उससे तुलना की गई प्रतियाँ;

((iv)

जिन पक्षों ने ऐसा किया उनके खिलाफ दस्तावेजों के काउंटरपार्ट्स

उन्हें निष्पादित न करें; [2022] 5 एस. सी. आर.

कुछ लोगों द्वारा दिए गए दस्तावेज़ की सामग्री के मौखिक खाते

(v)

वह व्यक्ति जिसने खुद इसे देखा है।

एक बार जब कोई दस्तावेज़ स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस दस्तावेज़ की सामग्री को भी साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है, हालांकि वे सामग्री निर्णायक नहीं हो सकती हैं। सबूत। इसके अलावा, एक बार जब कुछ साक्ष्य निर्णायक हो जाते हैं तो यह किसी भी अन्य साक्ष्य को बंद कर देता है जो उसकी निर्णायकता को कम कर देगा।

सबूत। किसी भी अन्य साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए निषेध है जो उस साक्ष्य की निर्णायकता से विमुख हो सकता है और अदालत के पास तथ्य के अस्तित्व को अन्यथा रखने का कोई विकल्प नहीं है जब ऐसा साक्ष्य निर्णायक बनाया जाता है। इस प्रकार, एक बार जब किसी दस्तावेज को ठीक से स्वीकार कर लिया जाता है, तो दस्तावेजों की सामग्री को साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाएगा, और यदि ऐसे दस्तावेज के साक्ष्य में निविदा के चरण में इसके प्रमाण के तरीके के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है, तो ऐसी किसी भी आपत्ति को मामले के किसी भी बाद के चरण में या अपील में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अमरजीत सिंह बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन) 1995 सीआरएलजे 1623 (डेल) ("अमरजीत सिंह")। लेकिन दस्तावेजों पर किसी अन्य तरीके से महाभियोग चलाया जा सकता है, हालांकि स्वीकार्यता को बाद में चुनौती नहीं दी जा सकती है जब दस्तावेज़ सबूत में बंधा होता है।

45. जिन मामलों में दस्तावेजों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य दिए जा सकते हैं, वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में बताए गए हैं।

धारा 66, धारा 67 (2), धारा 78। दस्तावेजों का प्रमाण, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, जिसमें ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन आदि शामिल है।

अनुमानः

46. अदालतें किसी विशेष तथ्य से एक विशेष निष्कर्ष निकालने के लिए अधिकृत हैं, जब तक कि इस तरह के निष्कर्ष की सच्चाई को अन्य तथ्यों द्वारा गलत साबित नहीं किया जाता है। अदालत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के तहत, किसी तथ्य के प्रमाण के उद्देश्यों के लिए एक अनुमान लगा सकती है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक धारणा अपने आप में सबूत नहीं है, बल्कि केवल उस पक्ष के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाती है जिसके लाभ के लिए यह मौजूद है। अंग्रेजी कानून के अनुसार, धारणाओं की तीन श्रेणियां हैं, अर्थात् (i) तथ्य या धारणाओं की धारणाएँ। प्राकृतिक अनुमान; (ii) कानून का अनुमान (खंडन योग्य और अपरिवर्तनीय); और (iii) मिश्रित अनुमान अर्थात। "मिश्रित कानून और तथ्य की धारणाएँ" या "कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तथ्य की धारणाएँ"। साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में "अनुमान लगा सकता है" और "अनुमान लगाएगा" अभिव्यक्ति भी अनुमानों की श्रेणियां हैं। तथ्यात्मक अनुमान या विवेकाधीन नीरज दत्ता v.

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

अनुमान "अनुमान लगा सकते हैं" के विभाजन के तहत आते हैं जबकि कानूनी अनुमान या अनिवार्य अनुमान "अनुमान लगाएंगे" के विभाजन के तहत आते हैं। " यह मान सकते हैं कि "मामले की परिस्थितियों के अनुसार अनुमान लगाना अदालत के विवेकाधिकार पर छोड़ देता है, लेकिन यह" मान लेगा "कि अदालत के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, और यह तब तक तथ्य को मान लेना बाध्य है जब तक कि इसे गलत साबित करने के लिए सबूत नहीं दिया जाता है, उदाहरण के लिए, भारत का राजपत्र होने का दावा करने वाले दस्तावेज़ की वास्तविकता। द.

साक्ष्य अधिनियम की धारा 79,80,81,83,85,89 और 105 में "मान लिया जाएगा" अभिव्यक्ति पाई जाती है। 47. इसी तरह परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक मुकदमे में, यह अनुमान लगाना होगा कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत को विचार के लिए बनाया गया था या तैयार किया गया था और यह कि परक्राम्य लिखत के निष्पादन के बाद ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए इसे निष्पादित किया गया था।

(2009) 2 एस. सी. सी. 513 ("कुमार निर्यात")। इसके अलावा, यह सवाल कि क्या अनुमान का खंडन किया गया था या नहीं, इसलिए, रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। [कृष्ण जनार्दन भट बनाम दत्तात्रेय जी हेगड़े (2008) 4 एस. सी. सी. 54 ("कृष्ण जनार्दन भट")।

48. अधिनियम की धारा 20 अनुमान से संबंधित है जहां जनता

नौकर कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य संतुष्टि स्वीकार करता है। यह उप-धारा (1) और उप-धारा (2) में "कल्पित किया जाएगा" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।

जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। उक्त प्रावधान एक कानूनी धारणा से संबंधित है जो एक आदेश की प्रकृति में है कि यह माना जाना चाहिए कि अभियुक्त ने किसी भी आधिकारिक कार्य आदि को करने या करने से रोकने के लिए संतुष्टि को एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया है, यदि धारा के पूर्व भाग में परिकल्पित शर्त पूरी हो जाती है। अधिनियम की धारा 20 के तहत कानूनी धारणा बनाने की एकमात्र शर्त यह है कि

मुकदमे के दौरान, यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने किसी भी संतुष्टि को स्वीकार किया था या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ था। धारा में यह नहीं कहा गया है कि उक्त शर्त को प्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। इसकी एकमात्र आवश्यकता यह है कि यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने संतुष्टि स्वीकार की है या स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है।

49. मद्रास राज्य बनाम ए. वैद्यनाथ अय्यर ए. आई. आर 1958 एस. सी.

61 (" ए. वैद्यनाथ अय्यर "), यह देखा गया कि 1947 के अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत धारणा जो विचाराधीन अधिनियम की धारा 20 के समान है, वहां उत्पन्न होगी जहां अवैध संतुष्टि की गई है। स्वीकार कर लिया गया, फिर धारणा सामान्य [2022] 5 एस. सी. आर. के लिए एक अपवाद पेश करती है।

आपराधिक मामलों में सबूत के बोझ के बारे में नियम और अभियुक्त पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करता है। विधायिका ने "अनुमान लगाएगी" शब्दों का उपयोग किया है न कि "अनुमान लगा सकती है" जिसका अर्थ है कि अनुमान को उठाया जाना चाहिए क्योंकि यह कानून की धारणा है और इसलिए अदालत पर इस अनुमान को उठाना अनिवार्य है। इसके अलावा, कानून की धारणाएं न्यायशास्त्र की एक शाखा का गठन करती हैं, जो तथ्य की धारणा के मामले के विपरीत है जो विवेकाधीन है।

50. 1947 के अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत एक धारणा को साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत एक धारणा के साथ अलग करते हुए, यह था

धनवंतराई बलवंतराई देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 575 ("धनवंतराई बलवंतराई देसाई") में कहा गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत एक अनुमान प्रकृति में विवेकाधीन है क्योंकि अदालत के लिए दूसरे तथ्य के प्रमाण से एक तथ्य के अस्तित्व के बारे में अनुमान लगाना या न लगाना खुला है। यह 1947 के अधिनियम की धारा 4 (1) या अधिनियम की धारा 20 के तहत एक धारणा के विपरीत है, जहां अदालत को इस तरह की धारणा बनानी होती है, यदि कोई निश्चित तथ्य साबित हो जाता है, यानी जहां किसी आरोपी को कोई अवैध संतुष्टि प्राप्त हुई हो। ऐसे मामले में यह धारणा बनाई जानी चाहिए कि व्यक्ति ने उस चीज़ को इनाम के उद्देश्य से प्राप्त किया था। इसलिए, अदालत के पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं है, एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि आरोपी को ऐसी राशि मिली है जो उसे कानूनी पारिश्रमिक के रूप में देय नहीं थी। बेशक, आरोपी के लिए यह दिखाने के लिए खुला है कि हालांकि वह पैसा कानूनी पारिश्रमिक के रूप में उसके कारण नहीं था, यह कानूनी रूप से किसी अन्य तरीके से उसके कारण था या कि उसने इसे किसी लेन-देन या व्यवस्था के तहत प्राप्त किया था जो वैध है। ऐसे मामले में अभियुक्त पर बोझ उतना हल्का नहीं होगा जितना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत एक अनुमान लगाया जाता है और इसे केवल इस तथ्य के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण उचित और संभावित है। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि व्याख्या सही है। इस प्रावधान में आने वाले शब्द "जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है" यह स्पष्ट करते हैं कि अनुमान का खंडन "प्रमाण" द्वारा किया जाना चाहिए न कि एक खुली व्याख्या द्वारा जो केवल प्रशंसनीय है। एक तथ्य को तब साबित कहा जाता है जब इसका अस्तित्व सीधे स्थापित हो जाता है या जब उसके सामने लाई गई सामग्री पर, न्यायालय अपने अस्तित्व को इतना संभावित पाता है कि एक उचित व्यक्ति इस धारणा पर कार्य करेगा कि यह मौजूद है। इसलिए, जब तक स्पष्टीकरण प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं है, तब तक प्रावधान द्वारा बनाई गई धारणा को खंडन नहीं कहा जा सकता है।

नीरज दत्ता बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

51. उन तरीकों में से एक जिसके माध्यम से एक तथ्य को साबित किया जा सकता है। लेकिन, साक्ष्य अधिनियम के तहत परिकल्पित एकमात्र तरीका यह नहीं है। का प्रमाण

तथ्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसके अस्तित्व में होने की संभावना कितनी है। अनुमान तक पहुँचने के लिए आवश्यक मानक एक विवेकपूर्ण व्यक्ति का है जो उससे संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण मामले में कार्य करता है। 52. "अनुमान लगा सकते हैं" और "अनुमान लगाएंगे" अभिव्यक्तियों के विपरीत, "निर्णायक प्रमाण" अभिव्यक्ति का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में भी किया जाता है। जब कानून कहता है कि एक विशेष प्रकार का साक्ष्य निर्णायक होगा, तो उस तथ्य को या तो उस साक्ष्य से या किसी अन्य साक्ष्य से साबित किया जा सकता है जिसकी अदालत अनुमति देती है या जिसकी आवश्यकता होती है। जब निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो अदालत के पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है कि तथ्य मौजूद है। उदाहरण के लिए, अदालत के आदेश में दिया गया बयान इस बात का निर्णायक है कि अदालत के पीठासीन अधिकारी के सामने क्या हुआ था। इस प्रकार, निर्णायक प्रमाण कुछ तथ्यों को कानून द्वारा एक कृत्रिम संभावित प्रभाव देता है। उस प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कोई सबूत पेश करने की अनुमति नहीं है। जब कोई कानून कुछ तथ्यों को अंतिम और निर्णायक बनाता है, तो ऐसे तथ्यों को गलत साबित करने के लिए साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जाती है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य

53. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, कानून की अदालत के समक्ष दिए गए सभी साक्ष्यों को या तो प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। डायरेक्ट

"साक्ष्य" का अर्थ है जब मुख्य तथ्य को सीधे गवाहों, चीजों या दस्तावेजों द्वारा सत्यापित किया जाता है। अन्य सभी रूपों के लिए, "परिस्थितिजन्य साक्ष्य" शब्द जो "अप्रत्यक्ष साक्ष्य" है, को गवाहों, चीजों या दस्तावेजों द्वारा संदर्भित किया जाता है, जिन्हें साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह भी है

दो प्रकार के होते हैं, निर्णायक और अनुमानित। निर्णायक तब होता है जब प्रमुख और साक्ष्य तथ्यों के बीच संबंध-तथ्य

प्रोबैंडम और फैक्टम प्रोबन्स-प्रकृति के नियमों का एक आवश्यक परिणाम है; "अनुमानित" तब होता है जब साक्ष्य से प्रमुख तथ्य का अनुमान केवल संभावित होता है, चाहे कितना भी हो।

पुलिस ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 2027 ("नवनीतकृष्णन")। 54. मुख्य तथ्य को अप्रत्यक्ष रूप से इसके अस्तित्व या अन्य [2022] 5 एस. सी. आर. के साथ इसके संबंध से प्राप्त कुछ निष्कर्षों के माध्यम से साबित किया जा सकता है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य। यह अक्सर कहा जाता है कि गवाह झूठ बोल सकते हैं लेकिन परिस्थितियों के अनुसार नहीं। हालाँकि, अदालत को विशुद्ध रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अपनी दोषसिद्धि का आधार बनाते हुए एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपराध का निष्कर्ष केवल तभी निकाला जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियाँ किसी अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत पाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य मुद्दे के बिंदु तक सीधे नहीं होते हैं, बल्कि इसमें विभिन्न अन्य तथ्यों के साक्ष्य होते हैं जो मुद्दे में तथ्य के साथ इतने निकटता से जुड़े होते हैं कि, एक साथ लिए जाने पर वे एक श्रृंखला बनाते हैं।

ऐसी परिस्थितियाँ जिनसे प्रमुख तथ्य के अस्तित्व का कानूनी रूप से अनुमान या अनुमान लगाया जा सकता है।

55. यह एक तुच्छ कानून है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर मामलों में, अपराध का अनुमान तब लगाया जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और

अभियुक्त के अपराध के लिए, एक दोषसिद्धि उचित होगी, भले ही उनमें से कोई भी एक या अधिक तथ्य अपने आप में निर्णायक न हों। (शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस. सी. सी. 116 ("शरद") बर्डहिचंद सारदा) जैसा कि प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य (2013) 4 एस. सी. सी. 668 ("प्रकाश") में दोहराया गया है।

56. कुंदन लाल रल्लाराम बनाम। द कस्टोडियन, निकासी

संपत्ति बॉम्बे ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1316 ("कुंदन लाल रल्लाराम"), इस न्यायालय ने हालांकि के. सुब्बा राव, जे. ने कहा कि सबूत के बोझ से संबंधित सबूत के नियम साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 7 में सन्निहित हैं। "सबूत का बोझ" वाक्यांश के दो अर्थ हैं: - एक, कानून और अभिवचन के मामले के रूप में सबूत का बोझ और दूसरा, एक मामला स्थापित करने का बोझ; पहला अभिवचनों के आधार पर कानून के प्रश्न के रूप में तय किया जाता है और पूरे मुकदमे के दौरान अपरिवर्तित रहता है, जबकि दूसरा स्थिर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई पक्ष अपने पक्ष में अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करता है, वह स्थानांतरित हो जाता है। बोझ को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य आवश्यक रूप से प्रत्यक्ष साक्ष्य होने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य या विरोधी पक्ष द्वारा किए गए प्रवेश; इसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य या कानून या तथ्य के अनुमान शामिल हो सकते हैं।

नीरज दत्ता बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

विश्लेषणः

57. बी. जयराज के मामले में, शिकायतकर्ता ने समर्थन नहीं किया

अभियोजन का मामला। पी. सत्यनारायण मूर्ति में, शिकायतकर्ता की मामले में अपनी गवाही देने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। एम. नरसिंगा राव में, सवाल यह था कि क्या एक कानूनी अनुमान एक तथ्यात्मक अनुमान पर आधारित हो सकता है। हजारी लाल के मामले में, इस अदालत ने ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. के माध्यम से कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि धन पारित किया जाए प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है। इसके अलावा, मधुखर भास्करराव जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2000) 8 एससीसी 571 ("मधुखर") में।

भास्करराव जोशी "), यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 20 के तहत एक धारणा बनाने के लिए, आधार यह है कि भुगतान या संतुष्टि की स्वीकृति थी। एक बार जब उक्त आधार स्थापित हो जाता है, तो निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि उक्त संतुष्टि को स्वीकार किया गया था " उद्देश्य या पुरस्कार "किसी भी आधिकारिक कार्य को करने या करने से रोकने के लिए।

58. पी. सत्यनारतन मूर्ति को राज्य बनाम राज्य में संदर्भित किया गया है।

डॉ. अनूप कुमार श्रीवास्तव (2017) 15 एस. सी. सी. 560 ("डॉ. अनूप कुमार श्रीवास्तव") यह देखते हुए कि जो अवैध संतुष्टि का गठन करता है वह है

कानून का सवाल; सबूतों के आधार पर अपराध किया गया है या नहीं, यह तथ्य का सवाल है। यदि, इसलिए, रिश्वत की मांग और स्वीकृति के संबंध में साक्ष्य संदेह के लिए जगह छोड़ देता है और पूरी तरह से विस्थापित नहीं होता है, तो निर्दोषता की धारणा, आरोप को स्थापित नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने आपराधिक मुकदमे में आरोप तय करने के संबंध में भी टिप्पणियां कीं, जिसमें अदालत से पूरे रिकॉर्ड और अदालत के समक्ष रखे गए दस्तावेजों पर अपना दिमाग लगाने की उम्मीद की जाती है। यह भी माना गया कि अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत अपराध के लिए मांग का प्रमाण एक अनिवार्य अधिदेश है। उक्त मामले के तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह अनुपस्थित था और अभियुक्त को बरी किया जा सकता था।

59. संदर्भ की ओर ले जाने वाले सभी मामलों में, यह या तो मृत्यु है या अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने से इनकार करने के कारण कानूनी

अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान नहीं उठाया जा रहा है और आरोपी के अपराध को घर नहीं लाया जा रहा है।

60. विद्वान ए. एस. जी. और परामर्श ने भी हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया

निम्नलिखित पूर्ववर्तीः

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम वी. वासुदेव के मामले में

((i)

राव (2004) 9 एस. सी. सी. 319 ("वी. वासुदेव राव"), यह न्यायालय, [2022] 5 एस. सी. आर.

शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में उसकी मृत्यु के कारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़ा और आगे कहा कि एक तक पहुंचने के उद्देश्य से निष्कर्ष में, न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत तथ्यात्मक अनुमान पर भरोसा कर सकता है। एक तथ्य भी साबित किया जा सकता है

प्रत्यक्ष गवाही या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा।

((ख)

अभियोजन।

उपरोक्त मामलों के विपरीत, हमारा ध्यान था

(iii)

230 (" सेल्वराज), जिसमें शिकायतकर्ता की मृत्यु पर, बरी करने का आदेश दिया गया था क्योंकि आरोपी को मामले से मुक्त कर दिया गया था। उनका कर्तव्य था और वे इस तथ्य के अलावा किसी भी आधिकारिक कार्य को करने में सक्षम नहीं थे कि गवाहों के बयान में विरोधाभास था।

((iv) ए. सुबैर में, बरी होना इस आधार पर था कि अनुपस्थिति में वापस आने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं था।

शिकायतकर्ता द्वारा साक्ष्य देना।

61. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरस्तू ने आगे तर्क दिया कि उन मामलों में, जहां शिकायतकर्ता "शत्रुतापूर्ण" हो जाता है, उसका साक्ष्य समाप्त नहीं होता है क्योंकि अदालत को सचेत रूप से यह पता लगाना चाहिए कि उसने अभियोजन पक्ष के मामले का किस हद तक समर्थन किया है। "शत्रुतापूर्ण" गवाह "शिकायतकर्ता" का साक्ष्य शिकायतकर्ता की मृत्यु या शिकायतकर्ता की अनुपलब्धता की तुलना में अलग आधार पर खड़ा होता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब शिकायतकर्ता "शत्रुतापूर्ण" हो जाता है, तो छाया गवाह का साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि वह अवैध संतुष्टि की मांग के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य भी दे सकता है। इसी तरह, नयन कुमार शिवप्पा वाघमारे बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2015) 11 एस. सी. सी. 212 ("नयन कुमार शिवप्पा वाघमारे"), पर इस तथ्य को पुष्ट करने के लिए भरोसा किया गया था कि यदि शिकायतकर्ता "शत्रुतापूर्ण" हो जाता है, तो धारणा नीरज दत्ता बनाम के आधार पर दोषसिद्धि की अनुमति है।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

और अन्य सबूत। दूसरी ओर, बी. जयराज में बरी होना इस तथ्य पर आधारित था कि शिकायतकर्ता "शत्रुतापूर्ण" हो गया था और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए कोई अन्य गवाह नहीं था और इसलिए, आरोपी के खिलाफ सबूतों की कमी थी। सी. पी. राव के मामले में, बरी करने का फैसला न केवल शिकायतकर्ता की अनुपलब्धता पर आधारित था, बल्कि इस तथ्य पर भी आधारित था कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच पहले से दुश्मनी थी और इस आधार पर भी कि आरोपी के हाथों में पैसा डाला गया था। इसी तरह, एन. सुनकन्ना मामले में, आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया गया था कि गवाह "शत्रुतापूर्ण" हो गया था और मांग साबित नहीं हुई थी। एम. आर. पुरुषोत्तम के मामले में भी ऐसा ही है।

जब अवैध संतुष्टि की मांग की गई थी और राशि का भुगतान किया गया था और दागी धन की वसूली हुई थी, तब गवाह मौजूद नहीं था। तो भी, प्रकाश चंद बनाम में। राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1979) 3 एस. सी. सी. 90 ("प्रकाश चंद") जब छाया गवाह "शत्रुतापूर्ण" हो गया, तो दोषसिद्धि अन्य गवाहों के साक्ष्य पर आधारित थी। इसलिए, शिकायतकर्ता द्वारा अपना साक्ष्य देने या शिकायतकर्ता के "शत्रुतापूर्ण" होने की अनुपस्थिति में भी, अभियोजन पक्ष का मामला विफल नहीं होगा और अभियोजन पक्ष केवल तभी मामले को उचित संदेह से परे साबित कर सकता है जब मामले को साबित करने के लिए अन्य सबूत हों। 63. संदर्भ के तहत प्रश्न का उत्तर देने से पहले, हम मामले के एक पहलू पर स्पष्टीकरण देना आवश्यक समझते हैं और वह इस संबंध में है।

"शत्रुतापूर्ण गवाह" के लिए।

64. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागमुथु ने कहा कि "शत्रुतापूर्ण गवाह" शब्द को साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में कहा गया है कि अदालत, अपने विवेकाधिकार पर, गवाह को बुलाने वाले व्यक्ति को कोई भी सवाल पूछने की अनुमति दे सकती है जिसे प्रतिकूल पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में रखा जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि धारा उस व्यक्ति को ऐसे गवाह के साक्ष्य के किसी भी हिस्से पर भरोसा करने की अनुमति नहीं देती है। तत्काल संदर्भ के लिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 निम्नानुसार निकाली गई हैः

" 154. पक्ष द्वारा अपने स्वयं के गवाह से प्रश्न।

(1) न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर गवाह को बुलाने वाले व्यक्ति को कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता है जिसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रतिकूल पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा।

(2) इस धारा की कोई भी बात इस तरह से अनुमत व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराएगी।

उप-धारा (1) के तहत, ऐसे गवाह के साक्ष्य के किसी भी हिस्से पर भरोसा करना।

उक्त धारा को 16.04.2006 से संशोधित किया गया था और धारा 154 की उप-धारा (2) को उक्त तिथि से जोड़ा गया था, जबकि मूल धारा को धारा 154 की उप-धारा (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था।

65. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागमुथु ने प्रस्तुत किया कि जब अभियोजन पक्ष एक गवाह से पूछताछ करता है जो मामले का समर्थन नहीं करता है अभियोजन पक्ष को "शत्रुतापूर्ण गवाह" घोषित नहीं किया जा सकता है और उसके साक्ष्य को समग्र रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अनुमति हो सकती है

क्योंकि "शत्रुतापूर्ण गवाह" के बयान की जांच इस हद तक की जा सकती है कि यह अभियोजक के मामले का समर्थन करता है। 66. इस संबंध में, हमारा ध्यान सत पॉल बनाम दिल्ली प्रशासन (1976) 1 एस. सी. सी. 727 (सत पॉल) की ओर आकर्षित किया गया था, जो 1947 के अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाला एक मामला है, जिसमें इस न्यायालय ने सरकारिया, जे. के माध्यम से बोलते हुए एक शत्रुतापूर्ण गवाह की विश्वसनीयता के बारे में प्रासंगिक टिप्पणियां की हैं। फैसले के पैराग्राफ 30 में यह देखा गया कि ये शब्द "शत्रुतापूर्ण" हैं।

"गवाह", "प्रतिकूल गवाह", "प्रतिकूल गवाह", "अनिच्छुक गवाह" सभी अंग्रेजी कानून के शब्द हैं। सामान्य कानून में, यदि कोई गवाह प्रदर्शन करता है

पार्टी द्वारा उन्हें बुलाए जाने के कारण के प्रति उनके व्यवहार, उत्तरों और रवैये से प्रकट घृणा, पार्टी को, एक सामान्य नियम के रूप में, उनके पिछले असंगत बयानों के साथ उनका खंडन करने की अनुमति नहीं थी, और न ही खराब चरित्र के सामान्य साक्ष्य द्वारा उनके श्रेय पर महाभियोग चलाने की अनुमति थी। पैराग्राफ 33 में यह देखा गया कि किसी पक्ष को अपने स्वयं के गवाह को बदनाम करने या उसका खंडन करने से रोकने वाले नियम की कठोरता को "शत्रुतापूर्ण गवाह" और "प्रतिकूल गवाह" शब्दों को विकसित करके और दोनों श्रेणियों के बीच अंतर करने का प्रयास करके कुछ हद तक कम किया गया था। एक "शत्रुतापूर्ण गवाह" को उस व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है जो पक्ष द्वारा उसे बुलाए जाने के संकेत पर सच कहने का इच्छुक नहीं है, और एक "प्रतिकूल गवाह" वह है जिसे एक पक्ष द्वारा मुद्दे में किसी विशेष तथ्य को साबित करने के लिए बुलाया जाता है या जो मुद्दे के लिए प्रासंगिक होता है जो विफल हो जाता है।

ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए, या एक विपरीत तथ्य को साबित करने के लिए। खंडों के संदर्भ में 142 और साक्ष्य अधिनियम के 154 में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 38 और 52 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

" 38. "शत्रुतापूर्ण" गवाह, "प्रतिकूल" गवाह, "प्रतिकूल" गवाह EERAJ DUTTA v शब्दों के अर्थ पर विवाद से दूर रहने के लिए।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के लेखकों ने कहा कि जिसने इंग्लैंड में काफी कठिनाई और मतभेद को जन्म दिया था ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सलाह दी है कि उनमें से किसी भी शब्द का उपयोग करने से बचें ताकि भारत में, किसी पक्ष द्वारा अपने स्वयं के गवाह से जिरह करने की अनुमति देने पर गवाह को "प्रतिकूल" या "शत्रुतापूर्ण" घोषित करने की शर्त न हो। चाहे वह धारा 142 के तहत प्रमुख प्रश्न रखने की अनुमति देना हो, या धारा के तहत छुट्टी देना हो।

154 ऐसे प्रश्न पूछने के लिए जिन्हें प्रतिकूल पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में रखा जा सकता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मामले को पूरी तरह से अदालत के विवेक पर छोड़ देता है (वैकुंठ नाथ बनाम प्रसन्नमोयी आकाशवाणी में सर लॉरेंस जेनकिंस की टिप्पणियों को देखें।

1922 पीसी 409। अदालत को धारा 154 द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार अयोग्य और अनियंत्रित है, और "शत्रुता" के किसी भी प्रश्न से अलग है। जब भी अदालत गवाहों के व्यवहार, स्वभाव, दृष्टिकोण, व्यवहार से इसका उदारता से प्रयोग करती है।

या उसके उत्तरों का सार और प्रवृत्ति, या उसके पिछले असंगत कथन के अवलोकन से, या अन्यथा, यह सोचता है कि इस तरह की अनुमति देना सत्य को निकालने और न्याय करने के लिए समीचीन है। इस तरह की अनुमति का अनुदान गवाह की सत्यता के बारे में अदालत द्वारा निर्णय के बराबर नहीं है।

अदालतें। 52. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य से, यह स्पष्ट होता है कि आपराधिक अभियोजन में भी जब किसी गवाह से अदालत की अनुमति के साथ जिरह की जाती है और उसका खंडन किया जाता है, तो उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा,

उसके साक्ष्य को, कानून के मामले के रूप में, रिकॉर्ड से पूरी तरह से धोया नहीं जा सकता है। यह तथ्य न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में विचार करना है कि क्या इस तरह की प्रतिपरीक्षा और विरोधाभास के परिणामस्वरूप, गवाह पूरी तरह से बदनाम हो सकता है या नहीं।

अभी भी उनकी गवाही के एक हिस्से के संबंध में विश्वास किया जाता है। यदि न्यायाधीश को लगता है कि इस प्रक्रिया में, गवाह का श्रेय पूरी तरह से हिल नहीं गया है, तो वह गवाह के साक्ष्य को पढ़ने और उस पर विचार करने के बाद, पूरी तरह से, उचित सावधानी और सावधानी के साथ, रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य के आलोक में, अपनी गवाही के उस हिस्से को स्वीकार कर सकता है जिसे वह विश्वसनीय पाता है और उस पर कार्रवाई कर सकता है।

यदि किसी मामले में, गवाह की पूरी गवाही है विवादित, और इस प्रक्रिया में, गवाह चौकोर रूप से खड़ा है और

पूरी तरह से बदनाम, न्यायाधीश को विवेक के मामले के रूप में,

उसके सबूत को पूरी तरह से फेंक दें "।

67. इसलिए, इस अदालत ने आगाह किया कि भले ही किसी गवाह को "शत्रुतापूर्ण" माना जाए और उससे जिरह की जाए, उसके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है

पूरी तरह से लेकिन उचित सावधानी और सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए और गवाही के उस हिस्से पर विचार किया जाना चाहिए जो विश्वसनीय है और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। विवेकपूर्ण विषय के रूप में यह न्यायाधीश के लिए है कि वह सबूत की सीमा पर विचार करे जो सबूत के उद्देश्य के लिए विश्वसनीय है।

मामला। दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि एक गवाह को "शत्रुतापूर्ण" घोषित किया गया है, उसके साक्ष्य की स्वतः अस्वीकृति का परिणाम नहीं है। यहां तक कि, एक "शत्रुतापूर्ण गवाह" का सबूत अगर यह पुष्टि करता है

अभियुक्त के अपराध का न्याय करते समय मामले के तथ्यों को ध्यान में रखा जा सकता है। इस प्रकार, यदि अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाती है तो "शत्रुतापूर्ण गवाह" की गवाही पर दोषसिद्धि बढ़ाने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है।

68. उपरोक्त चर्चा से जो कुछ सामने आता है उसका सारांश दिया गया है।

निम्नानुसारः

(ए) एक द्वारा अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति का प्रमाण

अभियोजन पक्ष द्वारा जारी एक तथ्य के रूप में लोक सेवक अभियुक्त जनता के अपराध को स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) (आई) और (2) के तहत नौकर।

(ख) अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले अवैध संतुष्टि की मांग और बाद में वास्तविकता के रूप में स्वीकृति को साबित करना होगा। इस मामले में यह तथ्य

प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है जो

मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य की प्रकृति।

(ग) इसके अलावा, जारी तथ्य, अर्थात्, मांग का प्रमाण और

अवैध संतुष्टि की स्वीकृति भी साबित की जा सकती है प्रत्यक्ष मौखिक के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य और

दस्तावेजी साक्ष्य।

(घ) इस तथ्य को साबित करने के लिए, अर्थात्, लोक सेवक द्वारा अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति,

निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना होगाः

(i) यदि रिश्वत देने वाले द्वारा बिना रिश्वत दिए भुगतान करने का प्रस्ताव है।

लोक सेवक और आर. ए. जे. डी. यू. टी. ए. वी. से कोई मांग की जा रही है।

राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

उत्तरार्द्ध बस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और अवैध प्राप्त करता है

संतुष्टि, यह धारा 7 के अनुसार स्वीकृति का मामला है।

अधिनियम से। ऐसे मामले में, एक पूर्व की आवश्यकता नहीं है

लोक सेवक की माँग।

((ii) दूसरी ओर, यदि लोक सेवक एक

माँग और रिश्वत देने वाला माँग को स्वीकार करता है और मांग की गई संतुष्टि जो बदले में है

लोक सेवक द्वारा प्राप्त, यह प्राप्ति का मामला है। प्राप्ति के मामले में, अवैध के लिए पूर्व मांग

लोक सेवक से संतुष्टि मिलती है। यह है।

अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (आई) और (2) के तहत अपराध।

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) दोनों मामलों में रिश्वत का प्रस्ताव।

देने वाला और लोक सेवक की मांग क्रमशः

अभियोजन पक्ष द्वारा इसे एक तथ्य के रूप में साबित करना होगा। दूसरे शब्दों में, केवल किसी अवैध वस्तु की स्वीकृति या प्राप्ति।

बिना किसी और चीज़ के संतुष्टि इसे आनंददायक नहीं बनाती। धारा 7 या धारा 13 (1) (डी), (आई) और (ii) के तहत अपराध

अधिनियम के अनुसार। इसलिए, की धारा 7 के तहत

अधिनियम, अपराध को घर लाने के लिए, एक प्रस्ताव होना चाहिए जो रिश्वत देने वाले से निकलता है जो है

लोक सेवक द्वारा स्वीकार किया गया जो इसे एक

अपराध। इसी तरह, लोक सेवक द्वारा एक पूर्व मांग

जब रिश्वत देने वाले और घूस देने वाले द्वारा स्वीकार किया जाता है तो एक

भुगतान जो लोक सेवक द्वारा प्राप्त किया जाता है, धारा 13 (1) (डी) के तहत अपराध होगा।

और अधिनियम के (i) और (ii)।

माँग के संबंध में तथ्य का अनुमान और

अवैध संतुष्टि की स्वीकृति या प्राप्ति हो सकती है

न्यायालय द्वारा एक निष्कर्ष के माध्यम से केवल तभी किया जाता है जब

मूलभूत तथ्यों को प्रासंगिक मौखिक और मौखिक रूप से साबित किया गया है दस्तावेजी साक्ष्य और उसके अभाव में नहीं। उस पर

अभिलेख पर सामग्री के आधार पर, न्यायालय के पास विवेकाधिकार है इस बात पर विचार करते हुए कि क्या

अभियोजन पक्ष द्वारा मांग का तथ्य साबित किया गया है या नहीं। बेशक, तथ्य का एक अनुमान खंडन के अधीन है

अभियुक्त और खंडन अनुमान के अभाव में खड़ा है। यदि शिकायतकर्ता 'शत्रुतापूर्ण' हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है या हो जाता है

मुकदमे के दौरान अपनी गवाही देने के लिए अनुपलब्ध, अवैध [2022] 5 एस. सी. आर. की मांग।

संतुष्टि किसी भी अन्य गवाह को साक्ष्य देकर साबित की जा सकती है जो मौखिक रूप से या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा फिर से साक्ष्य दे सकता है या अभियोजन पक्ष साबित कर सकता है

परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा मामला। मुकदमा कम नहीं होता है और न ही इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को सार्वजनिक रूप से बरी करने का आदेश मिलता है

सेवक।

(छ) जहाँ तक अधिनियम की धारा 7 का संबंध है, मुद्दे में तथ्यों के प्रमाण पर, धारा 20 अदालत को यह अनुमान लगाने के लिए अनिवार्य करती है कि अवैध संतुष्टि उक्त धारा में उल्लिखित उद्देश्य या पुरस्कार के उद्देश्य से थी। उक्त अनुमान को न्यायालय द्वारा कानूनी अनुमान या कानून में एक अनुमान के रूप में उठाया जाना चाहिए। बेशक, उक्त धारणा भी खंडन के अधीन है। धारा 20 अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (आई) और (ii) पर लागू नहीं होती है।
(ज) हम स्पष्ट करते हैं कि धारा 20 के तहत कानून में धारणा

अधिनियम बिंदु (ई) में ऊपर निर्दिष्ट तथ्य की धारणा से अलग है क्योंकि पहला एक अनिवार्य धारणा है जबकि दूसरा विवेकाधीन प्रकृति का है।

69. उपरोक्त चर्चा और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 7 या 13 (1) (डी) (आई) और (2) के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक सबूत की प्रकृति और गुणवत्ता के संबंध में, बी. जयराज और पी. सत्यनारायण मूर्ति में इस अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों में एम. नरसिंगा राव में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के साथ कोई टकराव नहीं है, जब शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य या शिकायतकर्ता का "प्राथमिक साक्ष्य" उसके कारण उपलब्ध नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि उपरोक्त तीन मामलों में निर्णयों के बीच कोई टकराव नहीं है। 70. तदनुसार, इस संविधान पीठ के विचार के लिए निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार दिया गया हैः

धारा 7 के तहत लोक सेवक के दोष/अपराध की कटौती और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) को धारा 13 (2) के साथ पढ़ा जाता है।

नीरज दत्ता बनाम। राज्य (जीओवीटी)। दिल्ली के एन. सी. टी.) [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

71. हम निर्देश देते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशों की मांग करने के बाद उपयुक्त पीठ के समक्ष व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया जा सकता है।

भारत।

निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, हम आशा और विश्वास करते हैं कि शिकायतकर्ताओं के साथ-साथ अभियोजन पक्ष भी यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं कि भ्रष्ट लोग

लोक सेवकों को कानून के दायरे में लाया जाता है और उन्हें दोषी ठहराया जाता है ताकि प्रशासन और शासन अप्रदूषित और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए।

इस संबंध में हम उस बात को दोहराना चाहेंगे जो इस न्यायालय ने स्वतंत्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1997) 4 एस. सी. सी. मामले में कही है।

14 :

कैंसरयुक्त लसीका की तरह भ्रष्टाचार भी खराब हो रहा है

" 6 .

नोड्स, शरीर की महत्वपूर्ण नसें राजनीतिक, सामाजिक कपड़े

अधिकारी। लोक सेवा में दक्षता में सुधार ही होगा जब लोक सेवक अपना ईमानदारी से ध्यान देता है और करता है

कर्तव्य लगन से, सच्चाई से, ईमानदारी से और खुद को समर्पित करता है

धुएँ की तुलना में बहुत तेज़ "। उपरोक्त को ए. बी. भास्कर राव बनाम में दोहराया गया है। सीबीआई

(2011) 10 एस. सी. सी. 259 एम. पी. बनाम राज्य के मामले से नीचे उद्धृत करके। शंभू दयाल (2006) 8 एससीसी 693:

" 32. प्रत्यर्थी की प्रार्थना को स्वीकार करना मुश्किल है कि इस मामले में एक उदार दृष्टिकोण लिया जाए। जनता द्वारा भ्रष्टाचार

नौकर एक बड़ी समस्या बन गए हैं। यह फैल गया है।

हर जगह। सार्वजनिक गतिविधि का कोई भी पहलू भ्रष्टाचार की बदबू से अप्रभावित नहीं रहा है। इसका गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ता है।

पूरे देश के कामकाज पर। बड़े पैमाने पर

भ्रष्टाचार राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों और सभी को बाधित करता है

उस हिसाब से भुगतना पड़ता है।

हम सभी विद्वान वरिष्ठ वकीलों के साथ-साथ विद्वान ए. एस. जी. सहित सलाहकार और निर्देश देने वाले वकीलों की सराहना करते हैं।

न्यायालय की सहायता की है। देविका गुजराल

संदर्भ

ने जवाब दिया।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)